[2021] 11 एस. सी. आर 891

एवीएनआई प्रकाश

वी.

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) और ओ. आर. एस.

(2021 की सिविल अपील संख्या 7000)

नवंबर 23,2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016:

एसएस। 2 (आर), 17 (आई), 32, अनुसूची प्रविष्टि 2 (ए)-विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)-प्रवेश लिखने के लिए एक घंटे का प्रतिपूरक समय

40 प्रतिशत की अक्षमता के साथ डिस्ग्राफिया से पीड़ित अपीलार्थी छात्रा का दावा एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) के लिए उपस्थित हुआ-उसके पीडब्ल्यू. डी. के कारण अतिरिक्त एक घंटे के क्षतिपूर्ति समय का दावा

स्थिति-प्रारंभ में नामित केंद्र द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि यदि नियम निर्धारित किए जाते हैं, तो पीडब्ल्यूडी के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, हालांकि,

एक घंटे का क्षतिपूर्ति समय नहीं दिया गया, और तीन घंटे के बाद जबरन उसका पेपर एकत्र किया गया-राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को निर्देश देने की मांग करने वाली अपीलकर्ता द्वारा लिखित याचिका-अपीलकर्ता के लिए सभी छूटों और लाभों के साथ उसे समायोजित करते हुए एक नई परीक्षा आयोजित करने के लिए पहले प्रतिवादी-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर कहा गयाः कानून के तहत निर्धारित अधिकारों और अधिकारों को गलत तरीके से अस्वीकार करने से उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत अन्यायों को इस आधार पर गुमनामी में नहीं भेजा जा सकता है कि ये एक आवश्यक परिणाम हैं।

एक प्रतियोगी परीक्षा-कानून के तहत सभी प्राधिकरण जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना के अधीन हैं-अपीलार्थी ने पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी के रूप में अपने अधिकारों के बावजूद, अपनी गलती के बिना एन. ई. ई. टी. के लिए उपस्थित होने के दौरान एक घंटे के क्षतिपूर्ति समय से गलत तरीके से वंचित कर दिया-अपीलार्थी ने उचित आवास के लिए अपनी पात्रता से इनकार कर दिया और राज्य समावेशी शिक्षा के अपने अधिकार की रक्षा करने के अपने सकारात्मक कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा।

अपीलार्थी को इनके गलत इनकार से अन्याय का सामना करना पड़ा

छूट जो पहले उत्तरदाता ईमानदारी से देने के लिए बाध्य था प्रवर्तन-उपचार की कमी अपीलार्थी के जीवन के लिए अपरिवर्तनीय अन्याय का कारण बनेगी-हालाँकि एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए मांगी गई राहत को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि इससे अनिश्चितता और अराजकता पैदा होगी, हालाँकि, पहले के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं।

अन्याय को सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए उत्तरदाता पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के तहत उपलब्ध अधिकारों और अधिकारों के संदर्भ में एन. ई. ई. टी. में किए गए प्रावधानों को एन. ई. ई. टी. बुलेटिन में अस्पष्टता को दूर करके स्पष्ट किया जाए-अधिकारियों, पहले उत्तरदाता के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रम के कारण नियमित रूप से संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाए। 2016 अधिनियम का उद्देश्य-आयोजितः समाज में विकलांग छात्रों की प्रभावी भागीदारी का लाभकारी उद्देश्य है -

कानून-कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय विधिवत होने चाहिए।

लागू किया जाना और हकदारी का कोई भी उल्लंघन कानून के हिसाब से जवाबदेह होना चाहिए-जवाबदेही के बिना जिम्मेदारी और शक्ति संविधान के लिए अभिशाप हैं।

एसएस। 2 (आर), (ओं)-- विकलांग व्यक्ति और मानक विकलांग व्यक्ति-राज्यों के बीच अंतर।

एस. 2 (एम)-समावेशी शिक्षा-समावेशी शिक्षा का अधिकारः सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समावेशी शिक्षा अपरिहार्य है

और शिक्षा तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच-विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन यह मानता है कि दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के अधिकार की सार्थक प्राप्ति के लिए समावेशी शिक्षा प्रणालियों को स्थापित किया जाना चाहिए-इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से समावेशी शिक्षा का अधिकार है-2016 अधिनियम समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है-समावेशी शिक्षा के अधिकार को उचित आवास के प्रावधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

जिसे किसी पीडब्ल्यूडी के लिए अस्वीकार करना भेदभाव के बराबर है-तथ्यों पर, अपीलार्थी को उचित आवास के लिए उसकी पात्रता से वंचित कर दिया गया था और राज्य उसके अधिकार की रक्षा करने के अपने सकारात्मक कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा। समावेशी शिक्षा।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहत को अस्वीकार कर दिया जाता है। अपीलार्थी को गलत तरीके से एक घंटे के क्षतिपूर्ति समय से वंचित कर दिया गया था। पी. डब्ल्यू. डी. और पी. डब्ल्यू. बी. डी. के रूप में अपने अधिकारों के बावजूद, वह बिना किसी गलती के एन. ई. ई. टी. के लिए उपस्थित हुई। प्रथम प्रतिवादी को इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित अवधि के भीतर अन्याय को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा, इसे एवीएनआई प्रकाश v की सूचना के तहत आवश्यक परिणामी उपाय करने चाहिए।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.)

अधिनियम या ऊपरी आयु में छूट जैसा कि प्रावधानों में विचार किया गया है, बेंचमार्क विकलांगता की अवधारणा लागू होती रहती है। दूसरा प्रत्यर्थी उन सुविधाओं के बारे में अनजान था जिनके लिए अपीलार्थी हकदार था। के बीच एक स्पष्ट भ्रम था पहले उत्तरदाता पर भी काम करने वाले अधिकारी। प्रथम उत्तरदाता और दूसरे उत्तरदाता जैसे परीक्षा केंद्रों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को उचित आवश्यकताओं से निपटने के लिए नियमित रूप से संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

2. अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि 2 (ए) में डिस्ग्राफिया को एक निर्दिष्ट अक्षमता के रूप में माना गया है। डिस्ग्राफिया खराब लिखावट का कारण बनता है और असंगत लिखावट का प्रदर्शन करता है, खराब वर्तनी और अंतराल, प्रतिलेखन की कठिनाइयाँ और कठिनाइयाँ

एकरूपता। अपीलार्थी के प्रमाणपत्रों के माध्यम से, यह स्पष्ट है कि वह आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की धारा 2 (आर) के प्रयोजनों के लिए डिस्ग्राफिया वाली एक पीडब्ल्यू. बी. डी. है। [पैरा 20] [914-जी; 915-डी]

3.1 एक परीक्षण एजेंसी के रूप में पहले उत्तरदाता को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं जिन्हें एन. ई. ई. टी. में स्पष्ट किया गया है।

बुलेटिन 2021। तत्काल मामला दर्शाता है कि अपीलार्थी

40 प्रतिशत की अक्षमता के साथ डिस्ग्राफिया से पीड़ित व्यक्ति को 2021 में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में त्रुटियों की त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। प्रथम प्रतिवादी, मंत्रालय द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा पर दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध था।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। की शिकायत अपीलार्थी का कहना है कि वह प्रतिपूरक अतिरिक्त [2021] 11 एस. सी. आर. से वंचित थी।

परीक्षा का प्रयास करने के लिए एक घंटा, केवल इसलिए कि दूसरा प्रतिवादी (नामित केंद्र) पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के अधिकारों और दूसरे प्रतिवादी पर संबंधित दायित्वों से अनजान था। यह स्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए प्रथम उत्तरदाता की जिम्मेदारी को दर्शाती है कि परीक्षा केंद्रों पर कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए और विकलांगों के लिए किए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान किए जाएं। पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में, संसद द्वारा "निर्दिष्ट विकलांग" उम्मीदवारों को प्रदान किए गए अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं।

[पारस 30,31] [920-एफ-एच; 921-ए-बी]

परिशिष्ट VIII-B में निर्दिष्ट केंद्र से परिशिष्ट VIII-A में विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता के कारण एक घंटे का अतिरिक्त क्षतिपूर्ति समय प्राप्त करें। इसके सामने बयान में, अपीलार्थी के वकील ने एक सप्ताह के भीतर एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के परिशिष्ट VIII-B में एक अधिकृत एजेंसी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने तदनुसार

11 अक्टूबर 2021 को उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी का बयान एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के प्रावधानों के स्पष्ट रूप से विपरीत था। एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के पैरा 5.4 (बी) से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी तीन घंटे की परीक्षा के लिए एक घंटे के क्षतिपूर्ति समय का हकदार था, चाहे वह किसी भी लिपिक पर निर्भर हो। पैरा 5.3 इंगित करता है कि परिणाम घोषित होने के बाद परिशिष्ट VIII-A में प्रमाण पत्र की आवश्यकता लागू होती है। यदि ऐसा नहीं था, तो उम्मीदवार को एन. ई. ई. टी. में प्राप्त रैंक का खुलासा करने की आवश्यकता का कोई उद्देश्य नहीं है। यह पैरा 5.3 से स्पष्ट है। 1 , 5.3. 3 , 5.3. 4 और 5.3। 5 कि परिशिष्ट VIII-B के तहत एक निर्दिष्ट केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए। केवल प्रवेश के चरण में। फिर भी, पैरा 5.3 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार। 1 , 5.3. 3 और एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के 5.4 (बी) में, उच्च न्यायालय को यह मानने के लिए प्रेरित किया गया कि एक अतिरिक्त घंटे के क्षतिपूर्ति समय की मांग करने के लिए परिशिष्ट 8-बी में निर्दिष्ट एक निर्दिष्ट केंद्र से एक परिशिष्ट 8-ए प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी।

ए. वी. एन. आई. प्रकाश बनाम है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.)

प्रथम प्रत्यर्थी पर काम करने वाले अधिकारियों के बीच स्पष्ट भ्रम, जिसके कारण एक त्रासदी हुई है जो एक निर्दिष्ट विकलांगता से पीड़ित छात्र के वैध अधिकारों और हक को प्रभावित करती है। [पारस 32,33] [921-सी-एच]

3.3 अभिव्यक्ति 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति' को धारा 2 (आर) में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार मानक अक्षमताओं की अवधारणा विशेष रूप से अध्याय VI के प्रावधानों के संदर्भ में है।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016। खंड में परिभाषा के विपरीत 2 (आर), अभिव्यक्ति 'विकलांग व्यक्ति' को धारा 2 (ओं) में परिभाषित किया गया है। पी. डब्ल्यू. डी. को प्रदान किए गए अधिकार और अधिकार हैं -

अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट। उन अधिकारों में, धारा 3 शामिल है।

उपयुक्त सरकार का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि पीडब्ल्यूडी को समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन और दूसरों के साथ समान रूप से उनकी अखंडता के लिए सम्मान प्राप्त हो। धारा 3 की उप-धारा (5) उपयुक्त सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा करती है कि

यह सुनिश्चित करना कि विकलांग महिलाओं और बच्चों को दूसरों के समान अधिकार प्राप्त हों। ये अधिकार और अधिकार जो पीडब्ल्यूडी को प्रदान किए जाते हैं, उन्हें बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा को एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में या के रूप में अपनाकर संकुचित नहीं किया जा सकता है। अधिकारों का लाभ उठाने के लिए पात्रता की एक शर्त। बेंचमार्क

अक्षमता, जैसा कि धारा 2 (आर) में परिभाषित किया गया है, विशेष रूप से अध्याय VI के संदर्भ में उपयोग की जाती है। निस्संदेह, 5 प्रतिशत कोटे के तहत उच्च शिक्षा के संस्थान में प्रवेश पाने के लिए, उम्मीदवार को धारा 32 (1) के संदर्भ में, पीडब्ल्यूबीडी के विवरण को पूरा करना होगा। लेकिन समान रूप से, जहां कानून ने पीडब्ल्यूडी को अधिकार और अधिकार प्रदान किए हैं, जो इसके कैनवास में एक से अधिक व्यापक है

बेंचमार्क अक्षमता, ऐसे अधिकारों को बेंचमार्क अक्षमता की धारणा को पढ़कर निरस्त या कमजोर नहीं किया जा सकता है। यह है। यह स्पष्ट है कि विकास कुमार के मामले में कानूनी स्थिति के स्पष्टीकरण के बावजूद, कानून का उल्लंघन जारी है और एनटीए ने

सुविधाओं के अनुदान को केवल पीडब्ल्यूबीडी तक सीमित रखना जारी रखा। प्रचुर सावधानी के साथ, यह दोहराया जाता है कि धारा 32 के संदर्भ में आरक्षण की सुविधा पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपलब्ध है। अन्य सुविधाएं

पीडब्ल्यूडी के लिए आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 द्वारा विचारित एक प्रशासनिक आदेश द्वारा इतना प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है जो इसके विपरीत होगा

कानून के प्रावधान। [पैरा 35,36,37] [922-ई, एफ-जी; 923-ए-बी, डी-जी; 924-ए, एच; 925-ए-बी] [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.1 शिक्षा सामाजिक और आर्थिक समावेशन और समाज में प्रभावी भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा तक सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी शिक्षा अपरिहार्य है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन यह मानता है कि दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के अधिकार की सार्थक प्राप्ति के लिए समावेशी शिक्षा प्रणालियों को स्थापित किया जाना चाहिए। अतः शिक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से समावेशी शिक्षा का अधिकार है। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 वैधानिक समर्थन प्रदान करता है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। धारा 2 (एम) समावेशी शिक्षा को परिभाषित करती है। [पैरा 38] [925-सी-डी]

4.2 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में अनिवार्य प्रावधान हैं

"आवास" को धारा 2 (y) में परिभाषित किया गया है। समावेशी शिक्षा के अधिकार को उचित प्रावधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आवास। इस बात पर जोर दिया गया है कि उचित

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांत के केंद्र में आवास है। पीडब्ल्यूडी के लिए उचित समायोजन से इनकार करना भेदभाव के बराबर है। समाज में विकलांग व्यक्तियों की समान भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना राज्य का सकारात्मक दायित्व है। [पैरा 41] [926-बी, सी-ई]

4.3 अपीलार्थी को उचित आवास की उसकी पात्रता से वंचित कर दिया गया और राज्य अपने सकारात्मक कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा।

समावेशी शिक्षा के उसके अधिकार की रक्षा करना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन के रूप में 29 अगस्त 2018 को जारी लिखित परीक्षा के लिए दिशानिर्देश, जहां तक पीडब्ल्यूडी के लिए लिखित परीक्षाओं का संबंध है, इस क्षेत्र में लागू होते हैं।

उम्मीदवार चिंतित हैं। [पैरा 42] [926-जी-एच; 927-ए]

परीक्षा के चरण में अपीलार्थी के रूप में (अध्याय III के तहत आने वाली धारा 17 (i) के प्रावधानों के संदर्भ में) और प्रवेश के चरण में लागू अधिकार (धारा 32 के तहत आने वाले) आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 का अध्याय VI)। उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में न्याय की घोर विफलता हुई थी, जिसमें अपीलार्थी को, जो एक घंटे की क्षतिपूर्ति से इनकार से व्यथित है, ए. वी. एन. आई. प्रकाश बनाम के आधार पर परिशिष्ट VIII-ए के संदर्भ में प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दिया गया था।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.)

अपीलार्थी ने प्रवेश परीक्षा के दौरान प्रतिपूरक घंटे का लाभ खो दिया। यह अन्याय उस तरीके से और बढ़ गया था जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हुई थी, जिसमें पहले प्रतिवादी के वकील को दिए गए निर्देश 29 अगस्त 2018 की लिखित परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों और एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के पैरा 5.4 (बी) के संदर्भ में उपलब्ध अधिकारों और अधिकारों के खिलाफ थे। लिखित परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश सभी के लिए हैं पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए परीक्षण। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 का पैरा 5.4 (बी) इस आवश्यकता को लागू करने और लागू करने का प्रयास करता है। इसके परिणामस्वरूप

त्रुटियों को जोड़ते हुए, अपीलार्थी को गंभीर अन्याय का सामना करना पड़ा है। [पारस 43,44] [928-सी-एच]

5.1 प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुतियों की पंक्ति यह सुझाव देती प्रतीत होती है कि अनुच्छेद 5.3 और 5.4 के तहत प्रावधानों के अलावा एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 में हितधारकों, विशेष रूप से उम्मीदवारों, पर्यवेक्षकों, केंद्र पर्यवेक्षकों, पर्यवेक्षकों और शहर समन्वयकों के लिए आगे के दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है। हालाँकि, यह उस मुद्दे को संबोधित नहीं करता है, जो वे कदम हैं जो पहले प्रतिवादी को अपीलार्थी जैसे मामलों से निपटने के लिए उठाने चाहिए, जहाँ छात्र को पीड़ित किया गया है। यह

सबसे पहले, पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में निर्दिष्ट केंद्र (दूसरा प्रतिवादी) में अपर्याप्त ज्ञान का परिणाम था; और दूसरा, एन. ई. ई. टी. बुलेटिन में बनाए गए निर्देशों में अस्पष्टता का एक तत्व था। 2021. [पैरा 45] [929-ए-सी]

5.2 इस मामले को देखने का एक तरीका, जैसा कि पहले प्रतिवादी अदालत से चाहते हैं, यह एक प्रतिस्पर्धी [2021] 11 एस. सी. आर. में स्वीकार करना है।

उत्तरदाता को एन. ई. ई. टी. प्रक्रिया के संचालन में प्राप्त अनुभव का उपयोग कमियों को भरने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने के लिए करना चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया को उस छात्र के साथ हुए अन्याय को सुधारने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जारी रखना चाहिए, जिसने इस तरह के अन्याय करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। इस तरह के अन्याय होने वाले मामलों की संख्या शायद कुछ या उससे अधिक हो सकती है; लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जिस छात्र को पीड़ित किया जाता है, उसके लिए परिणाम वास्तव में गंभीर है। कैरियर का पूरा पाठ्यक्रम इस बात पर निर्भर करता है कि

एन. ई. ई. टी. का संचालन और एक बाध्यकारी मानदंड का अनुप्रयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित विकलांग छात्रों के लाभ के लिए। कानून और संविधान के आदेश से बंधा एक प्राधिकरण, अन्याय को सुधारने का प्रयास करने के बजाय, निराशा में अपने हाथ नहीं उठा सकता है

जो एक छात्र के कारण होता है। एक न्यायाधीश इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आंकड़ों के पीछे एक मानवीय चेहरा है, जो एक छात्र और उसके परिवार की आकांक्षाओं, खुशी और आंसुओं को दर्शाता है। [पैरा 46] [929-सी-एच] 5.3 तत्काल मामले में, अपीलकर्ता प्रथम प्रतिवादी की ओर से कदाचार का दावा नहीं करता है, बल्कि आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों को प्रदान किए गए अधिकारों और अधिकारों का पालन करने में स्पष्ट और सरल लापरवाही का दावा करता है। प्रभावी भागीदारी के लिए

समाज में विकलांग छात्र, जो निस्संदेह विधान का हितकारी उद्देश्य है, कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को विधिवत लागू किया जाना चाहिए और हकदारी का कोई भी उल्लंघन कानून में जवाबदेह होना चाहिए। जिम्मेदारी और शक्ति

बिना जवाबदेही के रहना हमारे संविधान के लिए अभिशाप है। [पैरा 47] [929-एच; 930-ए-बी]

5.4 प्रथम उत्तरदाता का यह रुख उचित है कि एक छात्र के लिए पुनः परीक्षा का आदेश नहीं दिया जा सकता है। वैष्णवी विजय के मामले में निर्णय से एकल छात्र के लिए पुनः परीक्षा का विकल्प भी छोड़ दिया जाएगा। पकड़ना ए नई परीक्षा से चिकित्सा प्रवेश में देरी होगी और ए. वी. एन. आई. प्रकाश बनाम.

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.)

अनिश्चितता और अराजकता। उस हद तक, अपीलार्थी के लिए एक नई परीक्षा आयोजित करने के लिए मांगी गई राहत से इनकार परेशान नहीं है। साथ ही, पहले उत्तरदाता को एन. ई. ई. टी. के संचालन की प्रक्रिया में होने वाली ऐसी त्रुटियों की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से पहला उत्तरदाता व्यवहार करता है

गंभीर पूर्वाग्रह के मामलों, जैसा कि तत्काल मामले में होता है, पर निर्णय लेना होता है एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में। [पारस 48,50] [930-बी-सी; 932-बी-डी]

5.5 यह न्यायालय निर्देश देने के पाठ्यक्रम को छोड़ देगा

जिस तरीके से शिकायत को ठीक किया जाना चाहिए, उसे परीक्षण एजेंसी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसे परीक्षा आयोजित करने की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले

प्रत्यर्थी ने कुछ कदम उठाए जैसा कि वैष्णवी विजय के मामले में उल्लेख किया गया है। इसी तरह, तत्काल मामले में, इस न्यायालय का स्पष्ट विचार है कि पहला प्रतिवादी अपीलार्थी के साथ हुए अन्याय को सुधारने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है या उसे निरस्त नहीं कर सकता है। प्रथम प्रतिवादी अपीलार्थी को दिए गए अंकों के बहिर्वेशन पर विचार कर सकता है या प्रतिपूरक अंक प्रदान कर सकता है। वैष्णवी विजय के मामले में उठाए गए कदमों के समान, पहला प्रतिवादी भी 'कोई नकारात्मक अंक नहीं' योजना अपनाने पर विचार कर सकता है। पहला प्रतिवादी केवल उपरोक्त विकल्पों तक ही सीमित नहीं है और वह निर्णय को अन्याय को दूर करने के तौर-तरीकों पर छोड़ देगा।

अपीलार्थी को पहले प्रत्यर्थी को दिया गया। अन्याय जिसके परिणामस्वरूप हुआ है, स्पष्ट रूप से पालन में उल्लंघन के कारण है

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत अपीलार्थी को देय अधिकार। [पैरा 51] [932-डी-जी]

5.6 दिए गए बयान से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में अर्हता प्राप्त करने वाले 2684 उम्मीदवारों में से 1721 का अखिल भारतीय रैंक हासिल किया है। महाराष्ट्र राज्य के संबंध में, अपीलार्थी ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में 390 उम्मीदवारों में से 249 वीं रैंक हासिल की है। प्रथम उत्तरदाता ने कहा है कि 12 सितंबर 2021 को लगभग 15 लाख 40 हजार उम्मीदवार एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) 2021 में उपस्थित हुए थे, जिसके लिए परिणाम 1 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था और अखिल भारतीय रैंक 9 नवंबर 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रवेश के लिए परामर्श आयोजित करने के लिए अग्रेषित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस स्तर पर परिणाम में परिवर्तन किया जाएगा

अन्य उम्मीदवारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जो [2021] 11 एस. सी. आर. से ऊपर हैं।

अपीलार्थी। संक्षेप में, उपरोक्त प्रस्तुतियाँ न्यायालय को सूचित करने वाले पहले प्रतिवादी पर निर्भर करती हैं कि

इतने बड़े अनुपात में जहां 16 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया और 15 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, किसी एक उम्मीदवार के साथ हुए अन्याय को ठीक करना संभव नहीं होगा। प्रथम उत्तरदाता को यह याद रखना चाहिए कि कानून के तहत सभी प्राधिकरण जिम्मेदारी के अधीन हैं, और सबसे बढ़कर, जवाबदेही की भावना के अधीन हैं। पहला प्रतिवादी कानून के शासन और निष्पक्षता का पालन करने की संवैधानिक आवश्यकता द्वारा शासित होता है। '15 लाख छात्रों' की अमूर्त संख्या के पीछे मानव जीवन निहित है जिसे पहले उत्तरदाता की अनजाने में, लेकिन महत्वपूर्ण त्रुटियों के कारण बदला जा सकता है। [पारस 53,54] [934-सी-जी]

5.7 पहला उत्तरदाता, एक जाँच निकाय के रूप में, बाध्य था

लिखित परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों को ईमानदारी से लागू करना।

जो विशिष्ट छूट प्रदान करता है। अपीलार्थी को इन छूटों से गलत तरीके से इनकार करने और छूट की कमी के कारण अन्याय का सामना करना पड़ा है।

इस न्यायालय द्वारा उपचार छात्र के जीवन के साथ अपरिवर्तनीय अन्याय का कारण बनेगा। निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभकारी प्रावधान निर्धारित करने वाले आर. डब्ल्यू. पी. डी. अधिनियम 2016 में कोई प्रावधान नहीं होगा।

इसका अर्थ है जब तक कि इसे ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है। कानून के तहत सभी प्राधिकरण जिम्मेदारी के अधीन हैं, और सबसे बढ़कर, जवाबदेही की भावना के अधीन हैं। कानून के तहत निर्धारित अधिकारों और अधिकारों के गलत तरीके से इनकार से उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत अन्यायों को इस आधार पर गुमनामी में नहीं भेजा जा सकता है कि ये एक प्रतियोगी परीक्षा का एक आवश्यक परिणाम हैं। [पैरा 55,56]

[934 - जी-एच; 935-ए, बी-सी]

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी v. वैष्णवी विजय भोपाले एसएलपी

(ग) 2021 का 17027; विकास कुमार बनाम। यूनियन पब्लिक सेवा आयोग (2021) 5 एस. सी. सी. 370-पर निर्भर था।

विधि हिम्मत कटारिया बनाम। गुजरात राज्य (2019) 10

एससीसी 20 [2019] 12 एससीआर 821-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2021) 5 एससीसी 370

उस पर भरोसा करें

पैरा

37,41,57

[2019] 12 एससीआर 821

संदर्भित किया गया है

पैरा 42 एवीएनआई प्रकाश बनाम। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.7000

2021 .

उच्च न्यायालय के 29.10.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 की रिट याचिका (एल) संख्या 21578 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

ऋषभ विद्यार्थी, मंजीत सिंह राठौर, विकास जैन, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

रुपेश कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

... . 3 *

एक परिचय।

बी लागू होने वाले कानून और दिशानिर्देश

9 *

9 *

B. 1 लिखित परीक्षा के लिए दिशानिर्देश बी 2 एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021

..... 10 *

....14 *

सी प्रस्तुतियाँ। ... . डी.

विश्लेषण करें।

... . 19 *

डी. 1 एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के तहत दायित्व।

D. 2 पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी के बीच अंतर. 28 *

डी. 2.2। समावेशी शिक्षा का अधिकार

..... 32 *

...

...

.... 37 *

ई अन्याय का निवारण करना

..... 45 *

एफ निष्कर्ष।

परिचय

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील एक डिवीजन बेंच के फैसले से उत्पन्न होती है

बॉम्बे में उच्च न्यायालय, दिनांक 29 अक्टूबर 2021। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपीलार्थी की याचिका को खारिज कर दिया।

3. अपीलार्थी डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, जो एक निर्दिष्ट रोग है।

व्यक्तियों के अधिकारों की अनुसूची की प्रविष्टि 2 (ए) में सूचीबद्ध अक्षमता एड। नोट-* मूल निर्णय में वास्तविक पृष्ठांकन को दर्शाता है।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विकलांग अधिनियम 2016 के साथ 1. अपीलार्थी को 40 प्रतिशत स्थायी अक्षमता का पता चला है, जो आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की धारा 2 (आर) के तहत 'बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति' 2 की वैधानिक परिभाषा के अंतर्गत आता है। अपीलार्थी दावा करती है कि विकलांग व्यक्ति के रूप में वह उचित आवास और कुछ छूटों की हकदार है। इनमें से आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 17 (आई) द्वारा अनिवार्य परीक्षा प्रणाली में एक उपयुक्त संशोधन द्वारा "समावेशी शिक्षा" का लाभ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा" आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बेंचमार्क विकलांग "29 अगस्त 20184 को। ये दिशानिर्देश शासन करते हैं

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 द्वारा कवर किए गए सभी छात्रों की परीक्षाएँ। नियमित या प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करने वाले सभी परीक्षा अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उनका पालन किया जाना है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी-प्रथम उत्तरदाता, स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। अपीलार्थी आग्रह करता है कि लिखित परीक्षाओं पर दिशानिर्देश

4. अपीलार्थी 12 सितंबर 2021 को एन. ई. ई. टी. के लिए उपस्थित हुआ। अपनी पीडब्ल्यूडी स्थिति को देखते हुए, उन्होंने नियमित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित तीन घंटे के कुल समय की तुलना में क्षतिपूर्ति समय के अतिरिक्त घंटे के संदर्भ में छूट का दावा किया। अपीलार्थी को एन. ई. ई. टी. शुरू करने के लिए दूसरे प्रतिवादी (ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कांदिवली [पूर्व], मुंबई) को उसके केंद्र के रूप में आवंटित किया गया था। अपीलार्थी ने कहा कि दूसरा प्रत्यर्थी विशेष अनुदान से अनजान था ऐसी सुविधाएँ जो दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रदान की जानी थीं। अपीलार्थी की शिकायत यह है कि दूसरे प्रतिवादी ने शुरू में उसे आश्वासन दिया था कि यदि नियमों में निर्धारित किया गया है, तो उसे पीडब्ल्यूडी के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हालांकि, तीन घंटे की निर्धारित अवधि के अंत में, उसकी उत्तर पुस्तिका को परीक्षा में बैठने वाले नियमित छात्रों की श्रेणी के साथ "जबरन" एकत्र किया गया, जिससे वह क्षतिपूर्ति के समय से वंचित हो गई।

1 " आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016

2 " पीडब्ल्यूबीडी " 3 " पीडब्ल्यूडी "

4 " लिखित परीक्षाओं पर दिशानिर्देश "5" एन. ई. ई. टी ". 6 " एनईईटी बुलेटिन 2021 "वीएनआई प्रकाश बनाम।

5. 23 सितंबर 2021 को, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की। अन्य वैकल्पिक राहतों के अलावा, उन्होंने प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के लिए एक नई परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की, जबकिउसे उन सभी छूटों और लाभों के साथ संशोधित करना जिनके लिए उसे नियमों और विनियमों के तहत शिक्षा दी गई थी।

6. 11 अक्टूबर 2021 को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया।

:

" 1. याचिका में प्रतिवादी नं. के खिलाफ आदेश और निर्देश की मांग की गई है। 1 एन. ई. ई. टी. प्रवेश परीक्षा के लिए उसे प्रतिपूरक समय और अन्य सभी छूट/लाभ प्रदान करके फिर से उपस्थित होना।

वह अपनी "विकलांग व्यक्ति" की स्थिति के आधार पर हकदार है।

2. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसने विकलांगता प्राप्त की थी 6 जून 2021 को सायन अस्पताल से प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता है कि याचिकाकर्ता डिस्ग्राफिया से पीड़ित था और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश कर रहा था। याचिका ने 15 सितंबर, 2021 को सायन द्वारा जारी सीखने की अक्षमता का एक और प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

अस्पताल। 3. याचिकाकर्ता ने इन प्रमाणपत्रों को प्रतिवादी सं. 2 महाविद्यालय, जिसने प्रत्यर्थी सं. की ओर से उक्त एन. ई. ई. टी. परीक्षा आयोजित की। 1. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ता अक्षम होने के कारण, उक्त परीक्षण के लिए निर्धारित तीन घंटे के भीतर पेपर पूरा नहीं कर सका और उक्त परीक्षण को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त घंटे के समय का अनुरोध कर रहा था। प्रत्यर्थी नं. 2 हालांकि उन्होंने अतिरिक्त समय नहीं दिया। विज्ञापन द्वारा-30 तारीख का अंतरिम आदेश

सितंबर 2021 में, इस न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या को निर्देश दिया। 1 और 3

याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित नहीं करना।

4. श्री रोड्रिग्स, प्रतिवादी नं. के विद्वान वकील। 1 दूसरी ओर प्रत्यर्थी सं. द्वारा जारी सूचना बुलेटिंग पर दृढ़ता से भरोसा रखा गया। 1 एन. ई. ई. टी. (यू. जी.-21) और विशेष रूप से खंड 5.3 के लिए। 1 , 5.3. 3 , 5.3. 4 , 5.3. 5 , 5.4 (ख) और परिशिष्ट XIII-A और परिशिष्ट-B। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के पास नहीं है

निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त एक घंटे का समय पाने का हकदार खंड [2021] 11 एस. सी. आर. के तहत परीक्षा के लिए निर्धारित तीन घंटे की परीक्षा।

5.4 उक्त सूचना बुलेटिन। विद्वान वकील द्वारा निर्देश पर प्रस्तुत किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रों में से किसी एक से विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है

6. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए नं। 1 और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पहले ही प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति उठाए बिना उक्त परीक्षण में उपस्थित हो चुका है। 2 , हम प्रत्यर्थी को निर्देश देते हैं नं। 1 विकास कुमार बनाम विकास कुमार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उक्त परीक्षण में फिर से उपस्थित होने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर उचित निर्णय लेना। संघ लोक सेवा आयोग और अन्य, (2021) 5 एस. सी. सी. 370 अर्थात विकलांग व्यक्ति द्वारा उत्पन्न बाधाओं का प्रभावी ढंग से और सहानुभूतिपूर्वक मुकाबला करने में सक्षम बनाने के लिए समायोजन करके उचित आवास। याचिकाकर्ता का विद्वान वकील उक्त सूचना बुलेटिन में निर्धारित एजेंसी में से एक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत होता है।

आज से एक सप्ताह के भीतर परिशिष्ट VIII-B। द.

उत्तरदाता नं। 1 याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित एजेंसी में से एक परिशिष्ट VIII-B से प्राप्त प्रमाण पत्र पर विचार करेगा और प्रत्यर्थी सं। 1 निर्णय लेने की तारीख से दो दिन के भीतर याचिकाकर्ता को। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का उपयोग किसी भी मामले में पूर्ववर्ती के रूप में नहीं किया जाएगा।

एक और बात। 7. 28 अक्टूबर, 2021 को बोर्ड पर प्रवेश के लिए याचिका को पहले बोर्ड पर रखें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पर कार्रवाई करने के लिए दल।

(जोर दिया गया)

एवीएनआई प्रकाश बनाम। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

7. उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए, अपीलार्थी ने कहा कि उसने अनुदान सरकारी चिकित्सा विभाग से संपर्क किया कॉलेज, मुंबई (छठा उत्तरदाता) 12 अक्टूबर 2021 को, लेकिन सूचित किया गया कि परिशिष्ट के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र

VIII-A प्रवेश के समय लागू होता है जब कोई पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार आरक्षण का दावा कर रहा होता है और परीक्षा के दौरान छूट और लाभों का दावा करने के लिए नहीं। अधिक स्पष्टीकरण के लिए, अपीलार्थी ने संपर्क किया

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय (पाँचवाँ उत्तरदाता)। पाँचवें उत्तरदाता ने दोहराया कि परिणाम की घोषणा से पहले परिशिष्ट VIII-A के तहत प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

8. 26 अक्टूबर 2021 को, अपीलार्थी द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था जिसमें प्रासंगिक सामग्री रखी गई थी ताकि यह इंगित किया जा सके कि परिशिष्ट VIII-A के अनुरूप एक प्रमाण पत्र परिणाम की घोषणा के बाद ही जारी किया जाता है और प्रवेश लेने के समय ही इसकी आवश्यकता होती है। 29 अक्टूबर 2021 के विवादित फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि प्रथम प्रतिवादी की ओर से दिया गया बयान कि यदि परिशिष्ट VIII-B में निर्दिष्ट केंद्रों में से किसी एक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो अपीलार्थी के मामले पर विचार किया जाएगा, गलत था और वकील द्वारा "गलत संचार" के कारण किया गया था। अपीलार्थी के इस तर्क पर ध्यान देने के बावजूद कि उसे परिशिष्ट VIII-B में निर्धारित एजेंसी से ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों से याचिका पर विचार करने से इनकार कर दियाः

" 7. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा सायन अस्पताल से प्रस्तुत प्रमाण पत्र किसी नामित एजेंसी से नहीं था परिशिष्ट-VIII-B में निर्धारित। यह भी विवाद में नहीं है कि 11 अक्टूबर, 2021 को इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिए गए अवसर के अनुसार, याचिकाकर्ता ने इस स्तर पर भी परिशिष्ट VII-8 में निर्धारित उक्त एजेंसी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

8. इसलिए हम प्रार्थना खंड (ए) देने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति समय प्रदान करके एन. ई. ई. टी. प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति देना, और अन्य सभी छूट/लाभ जो वह अपने व्यक्ति के आधार पर पाने का दावा कर रही है।

कथित अक्षमता की स्थिति के साथ. '99 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. फिर भी, खंड पीठ ने कहा कि यदि अपीलकर्ता पहले प्रतिवादी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो वह विधिवत होगा

चार सप्ताह के भीतर विचार किया गया। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय के 28 अक्टूबर 2021 के एक विज्ञापन-अंतरिम आदेश को भी स्वीकार किया है। प्रतिवादी (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी बनाम। वैष्णवी विजय भोपाल?) . इस अदालत ने उस मामले में नए सिरे से जांच का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। 28 अक्टूबर 2021 के इस न्यायालय के अंतरिम आदेश पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

10. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ऋषभ विद्यार्थी और पहले प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री रुपेश कुमार को सुना है, जो कैविएट पर उपस्थित हुए हैं। चूँकि विवाद अनिवार्य रूप से अपीलार्थी और पहले प्रतिवादी से संबंधित है, इसलिए अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस दिया जाता है।

लागू होने वाले कानून और दिशानिर्देश

बी.

B. 1 लिखित परीक्षा के लिए दिशानिर्देश

11. 29 अगस्त 2018 को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग)

विकलांग) ने पीडब्ल्यूबीडी के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। लिखित परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देश एक व्यापक नीति की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस संबंध में, अनुच्छेद 1, खंड 2 में कहा गया है:

" II. तकनीक में सुधार और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए नए रास्ते खोले जाने को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए देश भर में एक समान और व्यापक नीति होनी चाहिए

एक स्तरीय खेल का मैदान प्रदान करना। नीति में मामले-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए लचीलापन भी होना चाहिए।

दिशानिर्देश कई सुविधाओं को उचित तरीके से निर्धारित करते हैं। आवास। मोटे तौर पर, वे निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान करते हैं:

2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) 17027 एवीएनआई प्रकाश बनाम।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((i)

पीडब्ल्यूबीडी के लिए लेखक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा जिनके पास अपने विकल्प पर गति सहित लिखित सीमाएँ हैं;

((ख)

परीक्षा देने के लिए विधि चुनने का विकल्प

जैसे ब्रेल, कंप्यूटर या बड़ा प्रिंट; और

परीक्षा में उपस्थित होने के लिए क्षतिपूर्ति समय।

(iii)

12. लिखित दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 1, खंड XII

परीक्षाओं में निम्नलिखित शर्तों में प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाता हैः

उपयोग किए गए समय को "प्रतिपूरक समय" में बदल दिया जाना चाहिए और यह उन व्यक्तियों के लिए परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम नहीं होना चाहिए जिन्हें लेखक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक के उपयोग की अनुमति है। बेंचमार्क विकलांगता वाले सभी उम्मीदवार इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं लेखक को 3 घंटे की
अवधि की परीक्षा के लिए न्यूनतम एक घंटे के अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है। यदि परीक्षा की अवधि एक घंटे से कम है, तो अनुपात के आधार पर अतिरिक्त समय की अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए। अतिरिक्त समय 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 "के गुणक में होना चाहिए।

दिशा-निर्देश जारी करने वाली अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि उनका "ईमानदारी से पालन" किया जाना चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी भर्ती एजेंसियों, शैक्षणिक/परीक्षा निकायों आदि को अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जानी थी।

बी 2 एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021

13. एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 का अध्याय V, जो पहले उत्तरदाता द्वारा जारी किया गया है, "एम. बी. बी. एस. और बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परामर्श और आरक्षण" से संबंधित है। लिखित परीक्षा के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, खंड 5.4 परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है। खंड 5.4 नीचे निकाला गया हैः

" 5.4 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में उपस्थित होने की सुविधाएँ

" बेंचमार्क वाले व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा विकलांग ", बेंचमार्क विकलांगों में से एक उम्मीदवार [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. पी. डब्ल्यू. बी. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) में परिभाषित) जो परिशिष्ट-VIII में निर्धारित प्रारूप में योग्यता प्रमाण पत्र रखते हैं।

निम्नलिखित सुविधाओं का हकदार है:

लिपिक की सुविधा, यदि उसकी कोई शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए एक लिपिक आवश्यक है, जो किसी सरकार के सी. एम. ओ./सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है। प्रारूप में स्वास्थ्य देखभाल संस्थान

परिशिष्ट-VIII-C में दिया गया है। हालांकि, सावधानी के उपाय के रूप में

महामारी, ऐसे उम्मीदवार को प्रारूप में अपने लेखक का उपयोग करने के लिए परिशिष्ट VIII-D में दिए गए वचन पत्र के साथ अपने स्वयं के लेखक को लाने की आवश्यकता होती है। तीन की परीक्षा के लिए एक घंटे का प्रतिपूरक समय

घंटे की अवधि, क्या ऐसा उम्मीदवार लेखक की सुविधा का उपयोग करता है

या नहीं। [.....]

ओ टी ई:

निर्दिष्ट अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के लिए अक्षमता की न्यूनतम डिग्री 40 प्रतिशत (बेंचमार्क डिसएबिलिटी) होनी चाहिए (विवरण के लिए परिशिष्ट देखें)।

VIII)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय [व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत शामिल किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा। 4 जनवरी 2018 को विकलांगों (दिव्यांगजन) के साथ।

अंतिम के बाद श्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

एन. टी. ए. द्वारा एन. ई. ई. टी. (यू. जी.)-2021 पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट तिथि और घोषणा के बाद कोई भी परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा। एन. टी. ए. एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) स्कोर 2021 "।

. एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 का परिशिष्ट VIII-ए या विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। विहित का सुसंगत भाग

इस तरह का प्रमाण पत्र नीचे दिया गया है:

‘ परिशिष्ट-VIII-A

अक्षमता का प्रमाणन

राजपत्र अधिसूचना संख्या एमसीआई-18 (1)/2018-Med./187262 एड 5 फरवरी 2019/13 मई 2019 के अनुसार चिकित्सा में प्रवेश के लिए

अखिल भारतीय कोटा में पाठ्यक्रम)

[.....]

तिथि।

प्रमाण पत्र सं।

नामित केंद्र का नाम (परिशिष्ट-VIII-B के अनुसार)

यह प्रमाणित करने के लिए

है।

Dr./Mr./

Ms।

यह

उम्रदराज़।

श्री का बेटा/बेटी।

वर्षों

आर/ओ

एन. ई. टी. आवेदन सं.

एन. ई. ई. टी.

रोल नं.

निम्नलिखित है

रैंक नं.

विकलांग (निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम)

अक्षमता)

में (प्रतिशत)

(शब्दों में)

(आंकड़ों में)

• कृपया निर्दिष्ट विकलांगता पर टिक करें

[राजपत्र अधिसूचना संख्या के अनुसार किया जाने वाला मूल्यांकन। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की धारा 076 (ई) दिनांक 4 जनवरी 2018

(दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय]:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस/नहीं। अक्षमता का प्रकार

निर्दिष्ट अक्षमता

प्रकार

[..... .....]

1 .

शारीरिक

ए. लोकोमोटर

अक्षमता

अक्षमता

B. दृष्टि दोष

C. सुनना

खराबी।

D. भाषण

&

भाषा

अक्षमता

बौद्धिक।

ए। विशिष्ट।

2 .

सीखना

अक्षमता

अक्षमताएँ

डिस्लेक्सिया,

डिस्ग्राफिया,

डिसकेलकुलिया,

डिस्प्रेक्सिया और

विकास

अफेसिया)

बी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम

विकार

[...] ”

(जोर दिया गया)

15. परिशिष्ट VIII-B में अधिकृत केंद्रों की सूची दी गई है।

अक्षमता प्रमाणपत्रों का अनुरोध। परिशिष्ट VIII-C में एक

एक परीक्षक की शारीरिक सीमा के संबंध में एक प्रमाण पत्र के लिए

यह परीक्षा है। इस प्रमाणपत्र का प्रासंगिक भाग है -

नीचे लिखा हैः

परिशिष्ट-VIII-C

66

आर. टी. आई. एफ. आई. सी. ए. एन. में शारीरिक सीमा को ध्यान में रखते हुए

लिखने की परीक्षा

यह प्रमाणित करने के लिए है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती का परीक्षण किया है।

(विकलांग उम्मीदवार का नाम),

(प्रकृति और प्रतिशत

एक व्यक्ति के साथ

अक्षमता के प्रमाण पत्र में उल्लिखित अक्षमता), एस/ओ /

डी/ओ

के निवासी

(गाँव/जिला/राज्य) और यह बताना कि उसके पास भौतिक है

सीमा जो उनकी लेखन क्षमताओं को बाधित करती है

उसकी अक्षमता। [.....] ”

राकेश वी. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) या। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बैटिंग्स

लांट की ओर से पेश विद्वान वकील इर ऋषभ विद्यार्थी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

2017 में, अपीलार्थी के स्कूल के शिक्षकों ने उसे सीखने की अक्षमता का एक विशिष्ट मामला होने का संदेह किया और उसे सलाह दी तत्काल निदान की तलाश करने के लिए। अपीलार्थी को एल. टी. एम. जी. सायन अस्पताल, बाल चिकित्सा तंत्रिका विकास केंद्र भेजा गया जहाँ उसे "डिस्ग्राफिया" का पता चला, जिसे "लेखक की ऐंठन" के रूप में जाना जाता है।

6 जून 2017 को एल. टी. एम. जी. सायन अस्पताल, बाल चिकित्सा द्वारा अपीलार्थी को अक्षमता का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

तंत्रिका विकास केंद्र। मार्च 2019 में, अपीलार्थी कक्षा 10 सी. आई. एस. सी. ई. परीक्षा के लिए उपस्थित हुई जहाँ उसे एक लिपिक की सुविधा की अनुमति दी गई। अपीलार्थी ने कुल 92.5 प्रतिशत के साथ दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की।

निशान;

सितंबर 2021 में, अपीलार्थी ने अपनी बारहवीं कक्षा की परीक्षा कुल 87.4 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की और

90.25 प्रतिशत का सर्वश्रेष्ठ चार विशेष अंक;

एन. ई. ई. टी. के लिए उपस्थित होने की प्रत्याशा में, अपीलार्थी ने 28 जुलाई 2021 को ग्रांट मेडिकल कॉलेज से संपर्क किया। उन्हें आवश्यक परीक्षण करने और 6 जून 2017 के अपने पहले के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए कूपर अस्पताल मुंबई और उसके बाद एल. टी. एम. जी. सायन अस्पताल जाने का निर्देश दिया गया था। एल. टी. एम. जी. सायन मुंबई ने अपीलार्थी को 7 सितंबर 2021 का अक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किया। हालाँकि, उन्होंने उसकी माँ का नाम गलत लिखा और प्रमाण पत्र को सुधार के लिए वापस भेज दिया गया। सही प्रमाण पत्र 15 सितंबर 2021 को जारी किया गया था और विभाग द्वारा अपलोड किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर 23 पर विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण

सितंबर 2021;

एन. ई. ई. टी. के प्रवेश पत्र में उन्हें अपनी पीडब्ल्यूडी स्थिति बताने की आवश्यकता थी, जिसका उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। 12 सितंबर 2021 को, आवंटित परीक्षा केंद्र ने उसे इस आधार पर क्षतिपूर्ति का समय नहीं दिया कि [2021] 11 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

केंद्र को इस तरह के नियम के बारे में सूचित नहीं किया गया था और "जबरन" सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ उसकी उत्तर पुस्तिका एकत्र की गई थी; और

अपीलार्थी ने 12 सितंबर 2021 को एक ईमेल द्वारा प्रथम प्रतिवादी के साथ विरोध दर्ज कराया, जिस पर उसे 13 सितंबर 2021 को एक स्वतः उत्पन्न जवाब मिला।

इससे दुखी होकर, अपीलार्थी ने बॉम्बे में न्यायपालिका के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। निम्नलिखित प्रस्तुतियाँविवादित फैसले पर हमला करने के लिए:

उच्च न्यायालय के समक्ष कहा गया कि चूंकि अपीलार्थी के पास निर्धारित प्रारूप में अक्षमता प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए वह केवल तभी प्रतिपूरक घंटे की हकदार होगी जब वह किसी एक केंद्र से अक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के परिशिष्ट VIII-B में प्रथम उत्तरदाता द्वारा मान्यता प्राप्त। प्रथम प्रतिवादी के वकील ने कहा कि उसके मामले पर एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सकता है। यह इस पृष्ठभूमि में था कि उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

पुनः उपस्थित होने के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय

एन. ई. ई. टी. में;

रिकॉर्ड करें। इसके बाद अपीलार्थी ने एक शपथ पत्र दाखिल किया; 11 अक्टूबर 2021 को उच्च न्यायालय के समक्ष आयोजित सुनवाई में, पहले प्रतिवादी ने आग्रह किया कि अपीलार्थी ने परिशिष्ट VIII-A के संदर्भ में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था।

द राकेश वी. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी ने यह प्रस्तुत करके जवाब दिया कि प्रमाणपत्र

परिशिष्ट VIII-A में निर्धारित केवल परामर्श और प्रवेश के चरण में लागू होता है, न कि परीक्षा के चरण में। यह उस प्रारूप से स्पष्ट है जो

यह अनिवार्य है कि उम्मीदवार को परीक्षा में प्राप्त अपनी रैंक को भरना होगा जो स्पष्ट रूप से तब तक उपलब्ध नहीं है जब तक कि कोई उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है और परिणाम हैं

घोषित कर दिया। इसके अलावा, प्रमाण पत्र में उम्मीदवार को एक एन. ई. ई. टी. रोल संख्या का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है जिसे परीक्षा की तारीख से केवल चार दिन पहले अधिसूचित किया जाता है। इसलिए, यह मान लेना अव्यावहारिक होगा कि एक उम्मीदवार सक्षम होगा। केवल चार दिनों के अंतराल के भीतर एक परिशिष्ट VIII-एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना। फिर भी, खंड पीठ ने एन. ई. ई. टी. के दिन परिशिष्ट VIII-ए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफलता के लिए उनकी याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

प्रथम उत्तरदाता ने विभिन्न चरणों और विशिष्ट छूटों को गलत समझा है जो एक निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्र को दी जाती हैं। क्षतिपूर्ति समय का अनुदान एक समावेशी आवश्यकता का एक आंतरिक तत्व है।

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की धारा 17 (आई) के तहत शिक्षा। इसके विपरीत, आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की धारा 32 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया गया है। पहला अध्याय III में शामिल है जबकि दूसरा है

अध्याय VI में विहित; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त 2018 को लिखित परीक्षा के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का पहले प्रतिवादी सहित सभी परीक्षा निकायों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

पन्डेंट की ओर से पेश विद्वान वकील इर रुपेश कुमार ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

निशान; अपीलार्थी ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में रैंक 1721, सामान्य श्रेणी में रैंक 206003 और परामर्श के लिए उनकी अखिल भारतीय रैंक 661699; [2021] 11 एस. सी. आर. हासिल की।

(iii)

प्रथम प्रतिवादी ने अपीलार्थी के मामले पर विचार किया

और इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या अपीलार्थी को कुछ राहत दी जा सकती है, जैसे कि आनुपातिक अंक प्रदान करना। हालांकि, परीक्षा के लिए कुल 15,44,275 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जिनके लिए अखिल भारतीय रैंक सूची स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को आयोजित करने के लिए भेजी गई है

प्रवेश के लिए परामर्श। इस स्तर पर परिणाम में कोई भी बदलाव रैंक वाले उम्मीदवारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

अपीलार्थी के ऊपर;

(iv) रैंक सूची में परिवर्तन से भी और देरी हो सकती है।

प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में; तथा

के प्रति अधिक स्पष्टता और संवेदनशीलता लाने के लिए

(v)

एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) 2022 के लिए लेखक की आवश्यकता और 'क्षतिपूर्ति समय', सभी हितधारकों (जैसे उम्मीदवार, पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक) को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। अधीक्षक)। उम्मीदवार को अपनी अक्षमता की स्थिति, अक्षमता के प्रकार और क्या उन्हें आवेदन पत्र में क्षतिपूर्ति समय की आवश्यकता होगी, इसकी घोषणा करनी होगी।

इसके साथ ही आवेदन पत्र में पंजीकरण के समय दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, उम्मीदवार के प्रवेश पत्र में ये विवरण दिखाई देंगे। इसके अलावा पर्यवेक्षकों, केंद्र अधीक्षकों को कई दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

और शहर समन्वयक वर्तमान स्थिति से बचने के लिए।

19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विश्लेषण के लिए आती हैं।

डी विश्लेषण 20. अपीलार्थी की शिकायत, जैसा कि हमने उल्लेख किया है

इस फैसले का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि 12 सितंबर 2021 को आवंटित

केंद्र ने उन्हें इस आधार पर क्षतिपूर्ति का समय नहीं दिया कि केंद्र को इस तरह के नियम के बारे में सूचित नहीं किया गया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है,आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के द्वंद्व की प्रविष्टि 2 (ए) में राफिया को एक निर्दिष्ट अक्षमता के रूप में माना गया है जो इस प्रकार हैः

" निर्दिष्ट अक्षमता

2. बौद्धिक अक्षमता, एक ऐसी स्थिति जिसकी विशेषता महत्वपूर्ण है बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क (एस. आई. सी.), सीखना, दोनों में सीमा,

समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार में जो एक सीमा को शामिल करता है

प्रत्येक दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल, जिसमें शामिल हैं-वी. एन. आई. प्रकाश बनाम.

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(क) "विशिष्ट अधिगम अक्षमता" का अर्थ है एक विषम समूह।

जिन स्थितियों में प्रसंस्करण भाषा में कमी है,

बोली या लिखी गई, जो खुद को एक कठिनाई के रूप में प्रकट कर सकती है समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वर्तनी करना या गणितीय कार्य करना।

गणना करें और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता जैसी स्थितियां शामिल हैं,

अफेसिया; (ख) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है तंत्रिका-विकासात्मक विकार।

आम तौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देने वाली स्थिति जो

व्यक्ति की संवाद करने, समझने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

दूसरों के साथ संबंध और संबंध, और अक्सर इसके साथ जुड़े होते हैं अनुपयोगी या रूढ़िवादी अनुष्ठान या व्यवहार "।

(जोर दिया गया)

डिस्ग्राफिया खराब लिखावट का कारण बनता है और प्रदर्शित करता है

असंगत लिखावट, खराब वर्तनी और अंतराल, प्रतिलेखन

सुसंगतता में कठिनाइयाँ और कठिनाइयाँ। अपीलार्थी के माध्यम से

2 (आर) आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 का। 21. इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किए गए मामले का सार यह है कि क्या

लांट के कारण एक घंटे के मुआवजे के समय का हकदार था

एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के तहत डब्ल्यू. डी. की स्थिति और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी एन परीक्षा के लिए दिशानिर्देश और

29 अगस्त 2018 को सी. ई.

डी. 1 एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के तहत दायित्व 22. प्रथम उत्तरदाता की भूमिकाएँ, शक्तियाँ और कार्य हैं -

एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 में दर्ज किया गया। एन. ई. ई. टी. बुलेटिन का पैरा 2.3

इसमें आवश्यक अस्वीकरण शामिल हैं और इसके कार्यों को स्पष्ट करता है

उत्तरदाता। संबंधित उपखंड नीचे दिए गए हैं:

" 2.3. 1 . एन. टी. ए. की जिम्मेदारी ऑनलाइन आमंत्रित करने तक सीमित है।

आवेदन, प्रवेश परीक्षा का संचालन, की घोषणा

परिणाम, और निदेशालय को अखिल भारतीय रैंक (ए. आई. आर.) प्रदान करना

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय

कल्याण, भारत सरकार।

2.3. 2 . इस सूचना बुलेटिन में निहित जानकारी परीक्षा के पैटर्न, पाठ्यक्रम, [2021] 11 एस. सी. आर. के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित।

एन. ई. ई. टी. (यू. जी.), सीटों का कोटा, आरक्षण, पी. डब्ल्यू. बी. डी., संबंधित पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रवेश मानदंड/प्रक्रिया संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हैं।

2.3. 3 एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) का परिणाम और अखिल भारतीय रैंक तैयार की जाएगी।

/ एन. एम. सी./डी. जी. एच. एस. (एम. बी. बी. बी. एस./बी. डी. एस. के लिए) और सी. सी. आई. एम. (बी. ए. एम. एस./बी. एस. एम. एस./बी. यू. एम. एस. के लिए) और सी. सी. एच. (बी. एच. एम. एस. के लिए) द्वारा निर्धारित मानदंडों/मानदंडों के अनुसार एन. टी. ए. द्वारा अधिसूचित। 2.3. 4 इसलिए, किसी भी संदेह/विवाद के मामले में; उपरोक्त विषय मामलों के संबंध में जानकारी, जैसा कि संबंधित नियामक के संबंधित विनियमों/अधिसूचनाओं में प्रदान की गई है।

निकायों को प्रामाणिक और अंतिम माना जाएगा। "

उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि पहले उत्तरदाता की भूमिका ऑनलाइन आवेदनों को अधिसूचित करना, एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, परिणाम घोषित करना और स्वास्थ्य महानिदेशालय को अखिल भारतीय रैंक प्रदान करना है सेवाएँ। एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 में निर्दिष्ट जानकारी, जिसमें परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम, पात्रता, आरक्षण के लिए सीटों का कोटा, पी. डब्ल्यू. बी. डी. और प्रवेश मानदंड/प्रक्रियाएं शामिल हैं, संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हैं। नतीजतन, संदेह या विवाद की स्थिति में, नियामक निकायों के नियमों/अधिसूचनाओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी को प्रामाणिक और अंतिम माना जाना चाहिए।

23. एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 का पैरा 5.3 विशेष रूप से प्रदान करता है

पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश। वे निम्नलिखित शब्दों में हैं:

" 5.3 पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश

5.3. 1 . विकलांग उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

कुल 5 प्रतिशत के मुकाबले चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए

के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीटें

स्नातक चिकित्सा परीक्षा (1997) पर विनियमन, जैसा कि 13.05.2019 तक संशोधित किया गया है (कृपया परिशिष्ट-VIII देखें)। पीडब्ल्यूबीडी

इस उद्देश्य के लिए प्रमाण पत्र परिशिष्ट-VIII-A में दिए गए प्रारूप में और निर्दिष्ट केंद्रों से इस प्रकार होगा:

परिशिष्ट-VIII-B में दिया गया

5.3. 2 . एम्स के लिए: आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अनुसार, क्षैतिज और श्रेणी के आधार पर दिव्यांग आरक्षण का पालन किया जाएगा।

8 " डी. जी. एच. एस. "वी. एन. आई. प्रकाश बनाम. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पात्रता निर्धारित करने के लिए संस्थान के चिकित्सा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के अधीन।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता [विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग] (दिव्यांगजन)] 4 जनवरी 2018 को और किसी भी उम्मीदवार को पीडब्ल्यूबीडी कोटा के तहत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। उपरोक्त प्रमाणपत्र यह पता लगाने के लिए होगा कि क्या कोई उम्मीदवार एन. टी. ए. के लिए आवेदन कर सकता है।

केवल पी. डब्ल्यू. बी. डी. कोटे के तहत एन. ई. ई. टी. (यू. जी.)-2021 में उपस्थित होना।

मूल्यांकन बोर्ड ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य ऑनलाइन परामर्श में पंजीकरण कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं। यदि उम्मीदवार विकलांग मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाते हैं, तो स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम, 1997 के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में, जैसा कि 14.05.2019 पर संशोधित किया गया है, वे पंजीकरण नहीं कर सकते हैं या आम ऑनलाइन परामर्श और किसी भी ऑनलाइन [2021] 11 एस. सी. आर. में भाग लें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेडिकल कॉलेज का अस्थायी आवंटन पूरी तरह से होगा

उम्मीदवार की ओर से धोखाधड़ी। यह प्रासंगिक है कि

शैक्षणिक सहित विभिन्न प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन

साथ ही विकलांगता प्रमाण पत्र केवल प्रवेश के लिए रिपोर्ट करने पर होता है

मेडिकल कॉलेज में।

चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए और किसी द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र नहीं अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज/जिला अस्पताल/सरकारी

अस्पताल स्वीकार किया जाएगा।

परिशिष्ट-VIII-A (डी. जी. एच. एस. नोटिस रेफरी के माध्यम से। नहीं। यू-11011/04/2020 / 05 - एम. ई. सी. दिनांक 26.10.2020) नामित व्यक्ति द्वारा जारी किया जाना है।

केंद्रों (परिशिष्ट-VIII-B) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार

स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम (1997) यथा संशोधित एम. सी. सी./द्वारा आयोजित 14.05.2019 डब्ल्यू. आर. टी. सामान्य परामर्श तक

अखिल भारतीय कोटा सीटों और चिकित्सा संस्थानों के लिए डी. जी. एच. एस. एम. सी. सी./डी. जी. एच. एस. की सामान्य परामर्श के अधीन हैं।

5.3. 7 . इसी तरह, राज्य के नामित परामर्श प्राधिकरण /

केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्डों का गठन करेंगी।

संदर्भ में उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए केंद्र

स्नातक चिकित्सा पर विनियमों के तहत निर्धारित मानदंडों के साथ शिक्षा (1997) को 14.05.2019 तक संशोधित किया गया है और इसे अधिसूचित किया जाएगा।

उनकी संबंधित वेबसाइटों पर भी ऐसा ही है।

5.3. 8 . सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति

समय-समय पर प्रवेश संस्थानों द्वारा इसका पालन किया जाएगा। द.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस समय विवरण देखें प्रवेश "।

(जोर दिया गया)

24. पैरा 3। 1 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक पीडब्ल्यूडी पर विचार किया जाएगा

13 मई 2019 तक संशोधित स्नातक शिक्षा पर विनियम 1997 में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप कुल सीटों के पांच प्रतिशत के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रमों में छूट। इस उद्देश्य के लिए पीडब्ल्यूबीडी आईकेट को आठवीं-ए में निर्धारित प्रारूप में और परिशिष्ट में निर्दिष्ट एक निर्दिष्ट केंद्र से तैयार किया जाना है।बी.

एवीएनआई प्रकाश बनाम। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

25. परिशिष्ट VIII में स्नातक चिकित्सा शिक्षा शामिल है।

विनियम (संशोधन) 2019। संशोधन में प्रावधान है कि एमबीबीएस प्रवेश के संबंध में आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत "निर्दिष्ट विकलांग" छात्रों के प्रवेश से संबंधित 'स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम 1997' के परिशिष्ट एच को "परिशिष्ट एच-1" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। परिशिष्ट एच-1 निम्नलिखित टिप्पणियों को निर्दिष्ट करता हैः

" परिशिष्ट "एच-1"

"निर्दिष्ट" के साथ छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश

2016 M.B.B.S पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में। ध्यान देंः 1. "दिव्यांगता प्रमाण पत्र" जारी किया जाएगा

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के अनुसार

मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित नियम, 2017 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग [

विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण (दिव्यांगजन)]

15 जून 2017 को।

2. एक व्यक्ति में "निर्दिष्ट अक्षमता" का विस्तार होगा -

के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया गया सम्मिलित व्यक्ति में निर्दिष्ट अक्षमता की सीमा का आकलन करना

2016) " सामाजिक मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित न्याय और अधिकारिता [अधिकारिता विभाग

विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)] 4 जनवरी 2018 को।

3. अक्षमता की न्यूनतम डिग्री 40 प्रतिशत होनी चाहिए।

विनिर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण। [... .....] "

(जोर दिया गया)

26. परिशिष्ट VIII-A में प्रमाणपत्र का एक प्रारूप होता है -

अक्षमता। महत्वपूर्ण रूप से, यह प्रमाण पत्र एन. ई. ई. टी. परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त रैंक और अनुक्रमांक प्रदान करता है। स्पष्ट रूप से, परिशिष्ट VIII-A में प्रमाण पत्र उम्मीदवार के एन. ई. ई. टी. परीक्षा में उपस्थित होने और परिणाम घोषित करने से पहले जारी नहीं किया जा सकता है। वास्तव में,

प्रमाण पत्र इस बात का समर्थन करता है कि इसे अखिल भारतीय कोटा में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5 फरवरी 2019/13 मई 2019 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जारी किया जाना है।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. पैरा 3। 3 एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 में उन उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है जो खुद को इस श्रेणी (पी. डब्ल्यू. डी.) के लिए पात्र मानते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

सरकारी मेडिकल कॉलेज/जिला अस्पताल/सरकारी अस्पतालों में स्वयं की जांच कराकर उनकी पात्रता जो एक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 के अध्याय VII के संदर्भ में विकलांगता प्रमाण पत्र। इस तरह का प्रमाण पत्र आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की अनुसूची और दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया जाता है।

28. पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के तहत चयन करने पर, उम्मीदवार को विकलांगता मूल्यांकन द्वारा जारी एक विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड पैरा 5.3 के तहत विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार। 4 . बोर्ड 14 मई 2019 तक संशोधित स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 1997 के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगा। इसलिए, परिणाम की घोषणा के बाद, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को निर्धारित करने के लिए विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है

चाहे वे किसी चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य ऑनलाइन परामर्श में पंजीकरण कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं।

29. पैरा 3। 5 यह निर्दिष्ट करता है कि डी. जी. एच. एस. द्वारा अधिकृत केंद्रों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों (परिशिष्ट VIII-B) पर केवल इसके लिए विचार किया जाएगा।

सामान्य परामर्श को विनियमित करना। 30. उपरोक्त चर्चा से संकेत मिलता है कि एक परीक्षण एजेंसी के रूप में पहले उत्तरदाता को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं जिन्हें स्पष्ट किया गया है।

एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021. वर्तमान मामला दर्शाता है कि 40 प्रतिशत की अक्षमता के साथ डिस्ग्राफिया से पीड़ित अपीलार्थी को 2021 में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में त्रुटियों की त्रासदी का सामना करना पड़ा है, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था।

31. पहला उत्तरदाता, एक परीक्षण एजेंसी के रूप में, कर्तव्य-बद्ध था

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित 29 अगस्त 2018 की लिखित परीक्षा के दिशा-निर्देशों का पालन करना। अपीलार्थी की शिकायत यह है कि वह इससे वंचित थी परीक्षा का प्रयास करने के लिए प्रतिपूरक अतिरिक्त एक घंटा, केवल इसलिए कि दूसरा प्रतिवादी (नामित केंद्र) एवीएनआई प्रकाश बनाम से अनजान था।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के अधिकार और दूसरे प्रतिवादी पर संबंधित दायित्व। यह स्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए प्रथम उत्तरदाता की जिम्मेदारी को दर्शाती है कि परीक्षा केंद्रों पर कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए और विकलांगों के लिए किए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान किए जाएं। पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में, संसद द्वारा "निर्दिष्ट विकलांग" उम्मीदवारों को प्रदान किए गए अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं।

उच्च न्यायालय। 11 अक्टूबर 2021 को, प्रथम प्रतिवादी के वकील ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अपीलार्थी परिशिष्ट VIII-B में निर्दिष्ट केंद्र से परिशिष्ट VIII-A में विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता के कारण अतिरिक्त एक घंटे का क्षतिपूर्ति समय प्राप्त करने का हकदार नहीं था। इस कथन के सामने, अपीलार्थी के वकील ने सहमति व्यक्त की एक सप्ताह के भीतर एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के परिशिष्ट VIII-B में किसी अधिकृत एजेंसी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। उच्च न्यायालय ने तदनुसार प्रथम प्रतिवादी को अपीलार्थी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के एक सप्ताह के भीतर उस पर विचार करने का निर्देश दिया।

33. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रथम प्रतिवादी ने अपने वकील को इस तरह के निर्देश जारी किए। 11 अक्टूबर 2021 को उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी का बयान एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के प्रावधानों के स्पष्ट रूप से विपरीत था। एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 (ऊपर निकाला गया) का पैरा 5.4 (बी) इंगित करता है कि अपीलार्थी तीन घंटे की परीक्षा के लिए एक घंटे के क्षतिपूर्ति समय का हकदार था, चाहे वह किसी भी लेखक पर निर्भर हो। पैरा 5.3 इंगित करता है कि

परिणाम घोषित होने के बाद परिशिष्ट VIII-A में प्रमाण पत्र की आवश्यकता लागू होती है। यदि ऐसा नहीं था, तो इसकी आवश्यकता का कोई उद्देश्य नहीं है

एन. ई. ई. टी. में प्राप्त रैंक का खुलासा करने के लिए उम्मीदवार। यह इस प्रकार है

पैरा 5.3 से दिन के उजाले के रूप में साफ करें। 1 , 5.3. 3 , 5.3. 4 और 5.3। 5 कि परिशिष्ट VIII-B के तहत एक निर्दिष्ट केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए।

केवल प्रवेश के चरण में। फिर भी, पैरा 5.3 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार। 1 , 5.3. 3 और एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के 5.4 (बी) में, उच्च न्यायालय को यह मानने के लिए प्रेरित किया गया कि एक अतिरिक्त घंटे के क्षतिपूर्ति समय की मांग करने के लिए परिशिष्ट 8-बी में निर्दिष्ट एक निर्दिष्ट केंद्र से एक परिशिष्ट 8-ए प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी। अधिकारियों के बीच स्पष्ट रूप से भ्रम है

प्रथम प्रत्यर्थी के रूप में कार्य करना, जिसके कारण एक त्रासदी हुई है जो एक निर्दिष्ट विकलांगता से पीड़ित छात्र के वैध अधिकारों और पात्रता को प्रभावित करती है।

डी. 2 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की प्रयोज्यता

D. 2 पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी के बीच अंतर

34. विकास कुमार बनाम में निर्णय में। संघ लोक सेवा आयोग ', इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि

बेंचमार्क विकलांगता आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अध्याय VI में निहित प्रावधानों के संदर्भ में लागू होती है, जिसका शीर्षक 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान' है। इन प्रावधानों में शामिल हैं:

((i)

धारा 31-मानक वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अक्षमताएँ;

((ii) (iii) (iv) (v) (vi) 33333

धारा 32-उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। धारा 33-आरक्षण के लिए पदों की पहचान;

धारा 34-आरक्षण;

धारा 35-निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन;

धारा 36 विशेष रोजगार विनिमय; और

(vii) धारा 37-विशेष योजनाएं और विकास कार्यक्रम।

35. धारा 2 (आर) में 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति' अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" धारा 2 (आर) "बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति" का अर्थ है चालीस प्रतिशत से कम नहीं वाला व्यक्ति। एक निर्दिष्ट अक्षमता जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और

इसमें एक विकलांग व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित करने वाले द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अधिकार; "

इस प्रकार मानक अक्षमताओं की अवधारणा विशेष रूप से आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के अध्याय VI के प्रावधानों के संदर्भ में है। में।

धारा 2 (आर) में परिभाषा के विपरीत, अभिव्यक्ति 'विकलांग व्यक्ति' को धारा 2 (ओं) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" ("विकलांग व्यक्ति" से दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जो बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।

9 9 (2021) 5 एस. सी. सी. 370 ["विकास कुमार"] एवीएनआई प्रकाश बनाम।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

36. पीडब्ल्यूडी को प्रदान किए गए अधिकार और अधिकार अध्याय II में निर्दिष्ट किए गए हैं। उन अधिकारों में, धारा 3 के कर्तव्य का समावेश है -

यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार कि पीडब्ल्यूडी को समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन और दूसरों के साथ समान रूप से उनकी अखंडता के लिए सम्मान प्राप्त हो। धारा 3 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 3. समानता और गैर-भेदभाव। (1) उपयुक्त

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन और दूसरों के साथ उनकी अखंडता के लिए समान रूप से सम्मान प्राप्त हो। (2) उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाएगी उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। (3) किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि आक्षेपित कार्य या चूक एक आनुपातिक साधन है -

एक वैध लक्ष्य प्राप्त करना। (4) किसी भी व्यक्ति को केवल अक्षमता के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। 8 (5) द.

उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि

विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास "।

धारा 3 की उप-धारा (5) उपयुक्त सरकार से पीडब्ल्यूडी के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा करती है। धारा 4 उपयुक्त सरकार और सभी स्थानीय अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की अपेक्षा करती है कि विकलांग महिलाओं और बच्चों को दूसरों के समान अधिकार प्राप्त हों।

37. ये अधिकार और अधिकार जो पीडब्ल्यूडी को प्रदान किए जाते हैं, उन्हें बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा को अपनाकर सीमित नहीं किया जा सकता है।

10 धारा 32 इस प्रकार हैः 32. उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। (1) सहायता प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान सरकार कम से कम पाँच प्रतिशत आरक्षित रखेगी। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटें। (2) मानक विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु में पांच साल की छूट दी जाएगी।

अक्षमता को चिह्नित करें। यह इस न्यायालय काश कुमार (उपरोक्त) के फैसले में स्पष्ट किया गया है जहां यह इस प्रकार देखा गया थाः

" 37. पाठ्य निर्माण और शब्द के अंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य दोनों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि धारा 2 (ओं) में परिभाषा को निम्नलिखित परिभाषा के साथ चिह्नित मापने योग्य मात्राओं द्वारा संकुचित नहीं किया जा सकता है।

धारा 2 (आर)।

39. 2016 आर. पी. डब्ल्यू. डी. के तहत मानक अक्षमताओं की अवधारणा प्रावधानों के संबंध में अधिनियम को विशेष रूप से अपनाया गया है।

अध्याय VI और अध्याय VII। छठम अध्यायमे विशेष उल्लेख अछि।

मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान। इनमें से

प्रावधान धारा 31 (मानक वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा) है।

अक्षमता), धारा 32 (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण),

धारा 33 (आरक्षण के लिए पदों की पहचान), धारा 34

(आरक्षण), धारा 36 (विशेष रोजगार विनिमय) और

धारा 37 (विशेष योजनाएं और विकास कार्यक्रम)। अध्याय VII में ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान हैं जिनके साथ

उच्च समर्थन की आवश्यकता में मानक अक्षमताएँ। इस प्रकार, अवधारणा

मानक अक्षमताओं को कानून द्वारा अपनाया गया है

कानून में निहित विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

इस विवरण को पूरा करने वाले व्यक्तियों के लिए। 40. उन अधिकारों और हकदारी का टकराव करना जिनमें

बेंचमार्क की धारणा के साथ विकलांग व्यक्ति

अक्षमताएँ हितकारी उद्देश्य को नुकसान पहुँचाती हैं

2016 आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम के अधिनियमन के अंतर्गत। इससे भी बदतर।

फिर भी, मान्यता प्राप्त अधिकारों और अधिकारों को अस्वीकार करने के लिए

विकलांग व्यक्ति इस आधार पर कि वे नहीं करते हैं

एक मानक अक्षमता को पूरा करना स्पष्ट रूप से अधिकार से परे होगा 2016 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम "।

(जोर दिया गया)

विकास कुमार (ऊपर) में, यू. पी. एस. सी. ने सिविल पर निर्भरता रखी

सी. ई. एस. परीक्षा नियम 2018 यह प्रस्तुत करने के लिए कि केवल पी. डब्ल्यू. बी. डी.एक लेखक की सुविधा के साथ। इस न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता

प्रदान किए जाने के रूप में उचित आवास के लिए शीर्षक

यू. पी. एस. सी. परीक्षा लिखने के लिए एक लेखक की सुविधा, भले ही वह एक मानक विकलांगता से पीड़ित हो। यह स्पष्ट है कि एवीएनआई प्रकाश बनाम के बावजूद।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विकास कुमार (ऊपर) में कानून की स्थिति का स्पष्टीकरण, कानून का उल्लंघन जारी है और एन. टी. ए. ने सुविधाओं के अनुदान को केवल पी. डब्ल्यू. बी. डी. तक ही सीमित रखा है। प्रचुर सावधानी बरतते हुए, हम दोहराते हैं कि धारा 32 के संदर्भ में आरक्षण की सुविधा पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपलब्ध है। पीडब्ल्यूडी के लिए आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 द्वारा विचार की गई अन्य सुविधाओं को एक प्रशासनिक आदेश द्वारा इतना प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है जो क़ानून के प्रावधानों के विपरीत होगा।

डी. 2.2। समावेशी शिक्षा का अधिकार

38. शिक्षा सामाजिक और आर्थिक समावेशन और समाज में प्रभावी भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा तक सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी शिक्षा अपरिहार्य है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन यह मानता है कि दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के अधिकार की सार्थक प्राप्ति के लिए समावेशी शिक्षा प्रणालियों को स्थापित किया जाना चाहिए। अतः शिक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से समावेशी शिक्षा का अधिकार है। भारत में, आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 प्रदान करता है

समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को वैधानिक समर्थन। धारा 2 (एम) समावेशी शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित करती है:

" (एम) "समावेशी शिक्षा" का अर्थ है ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें विकलांग और निःशक्त छात्र एक साथ सीखते हैं और शिक्षण और सीखने की प्रणाली को सीखने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों की आवश्यकताएँ;

39. आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में अधिकारों पर हितकारी प्रावधान हैं।

अध्याय III में समावेशी शिक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी। धारा 17, जो अध्याय III का एक हिस्सा है, विकलांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए विशिष्ट उपायों को शामिल करती है। धारा 17 में अन्य समावेशी उपायों में, उप-धारा (i) है जो विकलांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करने का कर्तव्य निर्धारित करती है। इस कर्तव्य को परीक्षा पत्रों को पूरा करने और/या एक लिपिक की सुविधा के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करके पूरा किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा का प्रावधान केवल विकलांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विकलांग वयस्कों तक फैला हुआ है। धारा 18 में प्रावधान है कि सरकार और स्थानीय अधिकारी वयस्क शिक्षा और अन्य लोगों के साथ समान आधार पर शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखने में दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। अध्याय VI उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित करता है जिनके साथ

धारा 32 के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षण सहित बेंचमार्क अक्षमता।

इसमें एक व्यापक समूह शामिल है जिसमें से पीडब्ल्यूबीडी एक उप-समूह है। यह अंतर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धारा 17 के तहत किए गए प्रयासों का विस्तार।

41. इन सबसे ऊपर, आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में अनिवार्य प्रावधान हैं

उचित आवास। "उचित समायोजन" अभिव्यक्ति को धारा 2 (y) में परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः

" 2 ((घ) "उचित आवास" का अर्थ है आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन, एक लागू किए बिना

किसी विशेष मामले में असमान या अनुचित बोझ, ताकि विकलांग व्यक्तियों को समान रूप से अधिकारों का आनंद या प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके

दूसरों के साथ; "

समावेशी शिक्षा के अधिकार को उचित आवास के प्रावधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विकास कुमार (ऊपर) में, यह न्यायालय

इस बात पर जोर दिया कि आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांत के केंद्र में उचित समायोजन है। पीडब्ल्यूडी के लिए उचित आवास से इनकार करना

भेदभाव। यह राज्य का सकारात्मक दायित्व है कि वह

समाज में विकलांग व्यक्तियों की समान भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक शर्तें। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 44. उचित आवास का सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों को उनकी पूर्ण सुविधा के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए राज्य और निजी पक्षों के सकारात्मक दायित्व को दर्शाता है।

समाज में प्रभावी भागीदारी। उचित की अवधारणा

आवास को नीचे खंड (एच) में विकसित किया गया है। वर्तमान में, यह कहना पर्याप्त है कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए, संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार, छह स्वतंत्रताएँ और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार खोखला हो जाएगा यदि उन्हें यह अतिरिक्त समर्थन नहीं दिया जाता है जो इन अधिकारों को उनके लिए वास्तविक और सार्थक बनाने में मदद करता है। उचित आवास है

साधनशीलता एक समाज के रूप में एक दायित्व है जो सक्षम बनाता है समानता की संवैधानिक गारंटी का आनंद लेने के लिए अक्षम और गैर

भेदभाव "।

42. वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उचित आवास की उसकी पात्रता से वंचित कर दिया गया था और राज्य ऐसा करने में विफल रहा

समावेशी शिक्षा के अपने अधिकार की रक्षा करने के अपने सकारात्मक कर्तव्य को पूरा करें। 29 अगस्त 2018 को लिखित परीक्षा के लिए दिशानिर्देश वी. एन. आई. प्रकाश बनाम के रूप में जारी किए गए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ज्ञापन, जहाँ तक पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षाओं का संबंध है। विधि में हिम्मत कटारिया बनाम। गुजरात राज्य 1 1 एइस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने कहा कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए एन. डी. आई. टी. आई.-ए के तहत प्रमाण पत्र लागू होता हैः

" जब याचिकाकर्ताओं को पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलना था तो प्रासंगिक आवश्यक पात्रता मानदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह नोट किया जाना आवश्यक है और इसलिए इसमें कहा गया है एमसीआई की ओर से दायर हलफनामे का जवाब दें कि विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की-"निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश", जिसे 5.6.2018 पर आयोजित अपनी बैठक में परिषद की कार्यकारी समिति के समक्ष रखा गया था, जिसमें उचित चर्चा और विचार-विमर्श के बाद इसे मंजूरी देने का निर्णय लिया गया था

एक ही। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को शैक्षणिक वर्ष के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परामर्श के कार्यक्रम को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सूचित किया जाना चाहिए। हालाँकि, शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश के लिए, यह एक मसौदा अधिसूचना के चरण में था और एमसीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आलोक में स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में संशोधन नहीं किया गया था, जिसने विकलांगता दिशानिर्देश जारी किए हैं, इस न्यायालय ने बिना संशोधन वाले स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 के अनुसार प्रवेश देने का निर्देश दिया।

हालांकि बाद में और प्रवेश से पहले

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 दिया गया है, अधिसूचना दिनांक 04.02.2019

प्रकाशित किया गया है और स्नातक चिकित्सा शिक्षा

विनियम, 1997 को उपरोक्त रूप में संशोधित किया गया है। इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

कि 'खेल के नियम बीच में ही बदल दिए जाते हैं', जैसा कि चाहा गया था

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिवाद किया जाए। जैसा कि देखा गया है। इसके ऊपर, आवश्यक पात्रता मानदंड के अनुसार

परिशिष्ट 'एच' पर उस समय विचार किया जाना आवश्यक है जब उम्मीदवार चिकित्सा में प्रवेश चाहते थे

पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत पाठ्यक्रम। यह भी ध्यान देने योग्य है

कि यहां तक कि पीडब्ल्यूडी कोटे में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार भी

संबंधित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है

वास्तव में प्रवेश लेने के समय और एन. ई. ई. टी. के बाद

परिणाम घोषित किया जाता है। इसलिए, संबंधित तिथि परिशिष्ट के अनुसार आवश्यक पात्रता मानदंडों पर विचार करना।

' एच 'वह तिथि होगी जिस पर उम्मीदवार-याचिकाकर्ता

उन्होंने पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया।

इससे बहुत पहले, अधिसूचना दिनांक 4.2.2019 जारी की गई है। और प्रकाशित किया गया और इसलिए संबंधित याचिकाकर्ताओं को

दिनांकित 04.02.2019 अधिसूचना द्वारा शासित।

(जोर दिया गया)

43. आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के प्रावधानों के संदर्भ में, एक स्पष्ट प्रावधान है -

किसी उम्मीदवार के लिए उपलब्ध अधिकारों जैसे कि परीक्षा के चरण में अपीलार्थी (अध्याय III के तहत आने वाली धारा 17 (i) के प्रावधानों के संदर्भ में) और आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की प्रवेश के चरण में लागू अधिकारों (अध्याय VI के तहत आने वाली धारा 32 के तहत) के बीच अंतर। उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में न्याय की घोर विफलता हुई थी, जिसमें अपीलार्थी को, जो एक घंटे के मुआवजे से इनकार से व्यथित है, परिशिष्ट के संदर्भ में प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दिया गया था।

VIII-A, प्रथम प्रत्यर्थी के वकील द्वारा दिए गए बयान के आधार पर। उल्लेखनीय है कि एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 का मसौदा तैयार करने के तरीके के कारण भी भ्रम पैदा हुआ है। एक स्पष्ट दृष्टि वाले सूचना बुलेटिन को उन अधिकारों के बीच अंतर प्रदान करना चाहिए जो परीक्षा के चरण में विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं।

और एन. ई. ई. टी. के परिणामों के बाद आरक्षण के संदर्भ में उपलब्ध अधिकार घोषित किए जाते हैं। एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 में अस्पष्टता और दूसरे प्रतिवादी को पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप, जिसे अपीलार्थी के केंद्र के रूप में आवंटित किया गया था, अपीलार्थी ने प्रवेश परीक्षा के दौरान एक प्रतिपूरक घंटे का लाभ खो दिया।

44. यह अन्याय उस तरीके से और बढ़ गया जिसमें

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की गई जहां प्रथम प्रतिवादी के वकील को दिए गए निर्देश 29 अगस्त 2018 की लिखित परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों और एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के पैरा 5.4 (बी) के संदर्भ में उपलब्ध अधिकारों और अधिकारों के अनुरूप थे। लिखित परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश सभी के लिए हैं पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए परीक्षण। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि एन. ई. ई. टी. बुलेटिन

2021 का पैरा 5.4 (बी) इस आवश्यकता को लागू करने और लागू करने का प्रयास करता है। इन चक्रवृद्धि त्रुटियों के परिणामस्वरूप,

अपीलार्थी को गंभीर अन्याय का सामना करना पड़ा है।

एवीएनआई प्रकाश बनाम। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अन्याय का निवारण

45. प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए निवेदनों की पंक्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 के पैरा 5.3 और 5.4 के तहत प्रावधानों के अलावा, यह हितधारकों, विशेष रूप से (i) उम्मीदवारों; (ii) पर्यवेक्षकों; (iii) केंद्र पर्यवेक्षकों; (iv) पर्यवेक्षकों; और (v) शहर समन्वयकों के लिए आगे के दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव करता है। हालाँकि, यह उस मुद्दे को संबोधित नहीं करता है, जो वे कदम हैं जो पहले प्रतिवादी को अपीलार्थी जैसे मामलों से निपटने के लिए उठाने चाहिए, जहाँ छात्र को पीड़ित किया गया है। यह पीड़ा, सबसे पहले, निर्दिष्ट केंद्र में अपर्याप्त ज्ञान का परिणाम थी।

दूसरा प्रतिवादी), पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में; और दूसरा, एन. ई. ई. टी. बुलेटिन 2021 में बनाए गए निर्देशों में अस्पष्टता के तत्व द्वारा।

प्रथम उत्तरदाता को एन. ई. ई. टी. प्रक्रिया के संचालन में प्राप्त अनुभव का उपयोग कमियों को भरने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने के लिए करना चाहिए, परीक्षा प्रक्रिया को एक छात्र के साथ हुए अन्याय को सुधारने की आवश्यकता के लिए ध्यान में रखना चाहिए, जिसने इस तरह के अन्याय को पैदा करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। ऐसे मामलों की संख्या जहाँ इस तरह के अन्याय होते हैं शायद कुछ या इससे अधिक (न्यायालय को सांख्यिकीय आंकड़े से अवगत नहीं कराया गया है); लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जिस छात्र को पीड़ित किया जाता है, उसके लिए परिणाम वास्तव में गंभीर है। कैरियर का पूरा पाठ्यक्रम निर्भर करता है।

एन. ई. ई. टी. के उचित संचालन पर और, जैसा कि वर्तमान मामले में है, विकलांग छात्रों के लाभ के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक बाध्यकारी मानदंड के अनुप्रयोग पर। कानून और संविधान के आदेश से बंधे प्राधिकरण के लिए यह कोई जवाब नहीं है कि वह एक छात्र के साथ हुए अन्याय को दूर करने का प्रयास करने के बजाय निराशा में अपने हाथ ऊपर करे। एक न्यायाधीश इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आंकड़ों के पीछे एक मानवीय चेहरा है, जो आकांक्षाओं, आनंद को दर्शाता है।

और एक छात्रा और उसके परिवार के आँसू। 47. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पहले प्रतिवादी की ओर से कदाचार का दावा नहीं करता है, बल्कि [2021] 11 एस. सी. आर. में स्पष्ट और सरल लापरवाही का दावा करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों को प्रदान किए गए अधिकारों और अधिकारों का अनुपालन करना। समाज में विकलांग छात्रों की प्रभावी भागीदारी के लिए, जो निस्संदेह कानून का हितकारी उद्देश्य है, कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को विधिवत लागू किया जाना चाहिए और किसी भी अधिकार का उल्लंघन कानून में जवाबदेह होना चाहिए। जवाबदेही के बिना जिम्मेदारी और शक्ति हमारे संविधान के लिए अभिशाप है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से एकल छात्र के लिए पुनः परीक्षा भी टाल दी जाएगी। वी. वैष्णवी विजय भोपाले 1 2. 12 नवंबर 2021 को। न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया था जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रथम प्रतिवादी को एक अलग एन. ई. ई. टी. परीक्षा आयोजित करके कुछ छात्रों की फिर से जांच करने का निर्देश दिया गया था।

परिणाम, 2021-2022 के लिए स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। उस मामले में पहले और दूसरे उत्तरदाता 12 सितंबर 2021 को एन. ई. ई. टी. में उपस्थित हुए थे और एक ही परीक्षा कक्ष में थे। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका के वितरण के समय, एक मिश्रण था और उन्हें अलग-अलग पुस्तिकाएं और उत्तर पुस्तिकाएं दी जाती थीं जो कोड से मेल नहीं खाती थीं। छात्रों को दिए गए निर्देशों के अनुसार, उत्तरदाताओं ने पर्यवेक्षकों को उत्तर पुस्तिका और पुस्तिका के बीच के मिश्रण की सूचना दी। पर्यवेक्षकों ने उत्तरदाताओं द्वारा बताई गई गलती को ठीक नहीं किया और कम समय के भीतर उत्तरदाताओं ने जितना हो सके उतने प्रश्नों के उत्तर दिए। 7 अक्टूबर को उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के अनुसरण में 2021 , प्रथम उत्तरदाता ने सुझाव दिया कि उत्तर कुंजी को उन 6 उम्मीदवारों के अंक/मूल्यांकन के लिए लागू किया जाएगा जिनके मामलों में परीक्षा पुस्तिका कोड में दिए गए प्रश्नों के क्रम के अनुसार परीक्षा पुस्तिका कोड और ओ. एम. आर. शीट के वितरण में मिश्रण था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर 2021 को एन. टी. ए. को दोनों उम्मीदवारों के लिए एक नई परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। 28 अक्टूबर 2021 को, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी और सॉलिसिटर जनरल से "पर्यवेक्षकों की गलती के कारण पीड़ित" दो छात्रों के संबंध में अपनाई जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देने का अनुरोध किया। जब इस अदालत द्वारा कार्यवाही शुरू की गई, तो 12 नवंबर 2021 को सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और दोनों उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएँ

12 2021 का एसएलपी (सिविल) No.17027 ["वैष्णवी विजय"] एवीएनआई प्रकाश बनाम।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर सुधार किया गया

उच्च न्यायालय का प्रथम प्रत्यर्थी। एन. टी. ए. द्वारा दी गई रियायत इस न्यायालय द्वारा 12 नवंबर 2021 के अपने आदेश में दर्ज की गई थीः

" एल. डी. सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी की उत्तर पुस्तिकाएँ संख्या। 1 और 2 को याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय को दिए गए सुझाव के आधार पर सही किया गया है। परीक्षण पुस्तिका कोड और ओ. एम. आर. शीट पर जोर दिए बिना अलग, याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए जवाब दिए गए हैं

मूल्यांकन किया गया "।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायमूर्ति एल.

नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उत्तर पुस्तिकाओं और परीक्षा पुस्तिका के वितरण में मिश्रण था जहां कोड अलग है। यह महसूस करते हुए कि किसी प्रश्न का गलत उत्तर नकारात्मक अंक आकर्षित करेगा और उम्मीदवारों को दिए गए निर्देशों पर भी भरोसा करेगा, उत्तरदाता संख्या। 1 और 2 ने पर्यवेक्षकों को बताया कि एक उचित कोड के साथ सही उत्तर पुस्तिका प्रदान की जानी चाहिए

उनके लिए।

केवल उनके लिए। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए दिए गए निर्देश को रद्द कर देते हैं। उत्तरदाता सं। 1 और 2 "।

49. उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, पहले प्रतिवादी ने यह महसूस किया कि गलती पर्यवेक्षकों की गलती के कारण हुई थी जिसे ठीक नहीं किया गया था, दोनों छात्रों की कठिनाई को कम करने के लिए कदम उठाए [2021] 11 एस. सी. आर.

उस हद तक जो व्यावहारिक था। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा छात्रों को दिए गए लाभ को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि संचालन करने का निर्देश

एक नया परीक्षण जारी नहीं रखा जा सका।

हमारा विचार है कि पहले प्रतिवादी को एन. ई. ई. टी. के संचालन की प्रक्रिया में होने वाली ऐसी त्रुटियों की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। द. जिस तरह से पहला प्रतिवादी गंभीर पूर्वाग्रह के मामलों से निपटता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, उसे एक विशेषज्ञ के रूप में तय करना होगा।

एजेंसी।

51. यह न्यायालय तरीके को निर्देशित करने की प्रक्रिया को छोड़ देगा

जिसमें शिकायत को ठीक किया जाना चाहिए, इसे परीक्षण एजेंसी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसे परीक्षा आयोजित करने की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रथम उत्तरदाता ने कुछ कदम उठाए जैसा कि वैष्णवी विजय (उपरोक्त) में ऊपर उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार, वर्तमान मामले में, हमारा स्पष्ट विचार है कि पहला प्रतिवादी जो अन्याय हुआ है उसे सुधारने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता या उसे निरस्त नहीं कर सकता है

अपीलार्थी को। प्रथम प्रत्यर्थी अपीलार्थी को दिए गए अंकों के बहिर्वेशन पर विचार कर सकता है या प्रतिपूरक अंक दे सकता है। वैष्णवी विजय (उपरोक्त) के चरणों के समान, पहला उत्तरदाता भी 'कोई नकारात्मक अंक नहीं' योजना को अपनाने पर विचार कर सकता है। हम पहले प्रतिवादी को केवल उपरोक्त विकल्पों तक सीमित नहीं कर रहे हैं और निर्णय को अपीलार्थी के साथ हुए अन्याय को दूर करने के तौर-तरीकों पर पहले प्रतिवादी पर छोड़ देंगे। यह अन्याय स्पष्ट रूप से आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत अपीलार्थी के हक का पालन करने में उल्लंघन के कारण हुआ है।

52. सुनवाई के दौरान, पहले प्रतिवादी ने आग्रह किया कि सोलह लाख छात्र एन. ई. ई. टी. के लिए उपस्थित हुए और इसलिए उनके साथ अन्याय किया गया।

"वन-ऑफ" छात्र को ठीक नहीं किया जा सकता है। प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में, अपीलार्थी बनाम अन्य उम्मीदवारों की उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किया गया है।

वी. एन. आई. प्रकाश बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.) [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 3. री (ए):

याचिकाकर्ता एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) 2021 में उपस्थित हुआ था

12.09.2021 सामान्य (यू. आर.)-पीडब्ल्यूडी श्रेणी में उम्मीदवार के रूप में। उन्होंने 180 में से 84 प्रश्नों का उत्तर दिया था। उन्होंने 50 प्रश्नों का सही और 34 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है और तदनुसार उन्हें 01.11.2021 पर घोषित परिणाम के दौरान 720 में से 166 अंक दिए गए हैं। तदनुसार, उसने अर्हता प्राप्त की है एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) 2021 ने एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रैंक हासिल किए हैंः

- परामर्श के लिए अखिल भारतीय रैंक-661699
- सामान्य (यू. आर.)-206003
- पीडब्ल्यूडी-1721

याचिकाकर्ता की रैंक को एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) 2021 के अन्य पी. डब्ल्यू. डी. उम्मीदवारों के साथ निम्नानुसार जोड़ा गया हैः

एससी एसटी। ओ. बी. सी। कुल

श्रेणी सामान्य ई. डब्ल्यू. एस.

अखिल भारतीय

पंजीकृत 1801

243 2883 6200

533

740

अर्हता प्राप्त 783

76

1285 2684 *

अर्हता प्राप्त

तक

1721

ए. आई. रैंक

661699 *

* 2684 उम्मीदवारों में से पीडब्ल्यूडी में उत्तीर्ण हुए

श्रेणी में उनकी रैंक 1721 है।

राज्य-महाराष्ट्र

पंजीकृत

25 444 920

200 390 @

अर्हता प्राप्त 85

46

51

8

अर्हता प्राप्त

तक

36

2

124 249

58

29

ए. आई. रैंक

661699 *

@ पीडब्ल्यूडी श्रेणी के 390 उम्मीदवारों में से उनकी रैंक 249 है।

* याचिकाकर्ता की अखिल भारतीय श्रेणी-661699

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के मामले पर विधिवत विचार किया है ताकि अतिरिक्त आनुपातिक अंक देने सहित कुछ समाधान खोजने का प्रयास किया जा सके। लेकिन यह देखा गया है कि

कुल 15,44,275 उम्मीदवार (कुल पंजीकृत उम्मीदवारों 16,14,777 में से) हैं जो 12.09.2021 पर एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) 2021 में उपस्थित हुए थे, जिसके लिए परिणाम पहले ही 01.11.2021 और सभी [2021] 11 एस. सी. आर. पर घोषित किया जा चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा इंडिया रैंक को पहले ही 09.11.2021 पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, मंत्रालय को भेज दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सरकार। भारत सरकार शैक्षणिक वर्ष 2021-21 के लिए एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परामर्श आयोजित करेगी। इसलिए, इस स्तर पर परिणाम में कोई भी बदलाव, उन कई उम्मीदवारों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा जो वर्तमान में याचिकाकर्ता से ऊपर है, लेकिन उसे उससे नीचे रखना होगा, जिससे अन्य उम्मीदवारों के पद बाधित होंगे। ऐसे छात्रों में से कोई भी इस माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं है और इसके परिणामस्वरूप आगे की जटिलताएं/मुकदमेबाजी हो सकती है। इसके अलावा, यह परामर्श प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में देरी हो सकती है।

53. उपरोक्त कथन इंगित करता है कि अपीलार्थी ने पीडब्ल्यूडी में अर्हता प्राप्त करने वाले 2684 उम्मीदवारों में से 1721 का अखिल भारतीय रैंक प्राप्त किया है।

श्रेणी। महाराष्ट्र राज्य के संबंध में, अपीलार्थी ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में 390 उम्मीदवारों में से 249 वीं रैंक हासिल की है। पहले उत्तरदाता ने कहा है कि 12 सितंबर 2021 को लगभग 15 लाख 40 हजार उम्मीदवार एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) 2021 में उपस्थित हुए थे, जिसके लिए परिणाम 1 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था और अखिल भारतीय रैंक को आगे बढ़ा दिया गया था।

9 नवंबर 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रवेश के लिए परामर्श आयोजित करने के लिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस स्तर पर परिणाम में परिवर्तन अन्य उम्मीदवारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा जो अपीलार्थी से ऊपर हैं।

54. संक्षेप में, उपरोक्त प्रस्तुतियाँ न्यायालय को सूचित करने वाले पहले प्रत्यर्थी पर निर्भर करती हैं कि इतने बड़े मामले की जाँच में

जहां 16 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया और 15 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, वहां एक भी उम्मीदवार के साथ हुए अन्याय को दूर करना संभव नहीं होगा। प्रथम उत्तरदाता को यह याद रखना चाहिए कि कानून के तहत सभी प्राधिकरण जिम्मेदारी के अधीन हैं, और सबसे बढ़कर, जवाबदेही की भावना के अधीन हैं। पहला प्रतिवादी कानून के शासन और निष्पक्षता का पालन करने की संवैधानिक आवश्यकता द्वारा शासित होता है। '15 लाख छात्रों' की अमूर्त संख्या के पीछे मानव जीवन निहित है जिसे पहले उत्तरदाता की अनजाने में, लेकिन महत्वपूर्ण त्रुटियों के कारण बदला जा सकता है।

55. प्रथम प्रतिवादी, एक परीक्षण निकाय के रूप में, दिनांक 29 की लिखित परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों को ईमानदारी से लागू करने के लिए बाध्य था।

अगस्त 2018 जो विशिष्ट छूट प्रदान करता है। अपीलार्थी को इन छूटों को गलत तरीके से अस्वीकार करने से अन्याय का सामना करना पड़ा है और इस न्यायालय द्वारा उपचार की कमी ए. वी. एन. आई. प्रकाश बनाम के जीवन के लिए अपरिवर्तनीय अन्याय का कारण बनेगी।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन. टी. ए.)

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विद्यार्थी। आर. डब्ल्यू. पी. डी. अधिनियम 2016 व्यक्तियों के लिए लाभकारी प्रावधान निर्धारित करता है।

निर्दिष्ट अक्षमताओं के साथ कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि इसे ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है।

56. हमारे विचार में, पहले प्रतिवादी को उस स्थिति का सामना करने पर बस भागने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब वह हाथ में अन्याय की स्थिति का सामना कर रहा हो। एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की स्थिति के पीछे खड़े होने से एक छात्र को नुकसान हुआ है। कानून के तहत निर्धारित अधिकारों और अधिकारों के गलत तरीके से इनकार से उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत अन्यायों को इस आधार पर गुमनामी में नहीं भेजा जा सकता है कि ये एक प्रतियोगी परीक्षा का एक आवश्यक परिणाम हैं।

एफ निष्कर्ष

57. तदनुसार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं और निर्देश देते हैं:

अपीलार्थी द्वारा पुनर्विचार करने के लिए मांगी गई राहत

((i)

एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) के लिए परीक्षा से इनकार कर दिया गया है। अपीलार्थी को गलत तरीके से क्षतिपूर्ति से वंचित कर दिया गया था

((ख)

पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी के रूप में उनकी पात्रताओं के बावजूद, उनकी अपनी किसी भी गलती के बिना एन. ई. ई. टी. के लिए उपस्थित होने में एक घंटे का समय। तदनुसार, प्रथम प्रतिवादी को इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह की अवधि के भीतर अन्याय को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा, यह डी. जी. एच. एस. को सूचित करते हुए आवश्यक परिणामी उपाय करेगा।

(iii)

भविष्य में, पहला प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रावधान

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 के तहत उपलब्ध अधिकारों और हकदारी के संदर्भ में एन. ई. ई. टी. में जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें एन. ई. ई. टी. बुलेटिन में अस्पष्टता को दूर करके स्पष्ट किया गया है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है।

((iv) विकास मामले में इस न्यायालय का निर्णय का उचित सम्मान करना।

कुमार (ऊपर) और आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 में निहित वैधानिक प्रावधान, जो सुविधाएँ पी. डब्ल्यू. डी. को कानून द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन्हें उच्च में पढ़ने से सीमित नहीं

किया जाएगा।
पीडब्ल्यूबीडी के लिए निर्धारित सीमा;

(v)

प्रचुर सावधानी के माध्यम से, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए

आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 2016 की धारा 32 के तहत आरक्षण का लाभ उठाने या प्रावधानों में विचार के अनुसार ऊपरी आयु में छूट, बेंचमार्क विकलांगता की अवधारणा जारी है।

यह हमारे संज्ञान में लाया गया था कि दूसरा प्रतिवादी उन सुविधाओं के बारे में अनजान था जिनके लिए अपीलार्थी हकदार था। प्रथम उत्तरदाता पर भी काम करने वाले अधिकारियों के बीच स्पष्ट रूप से भ्रम था। प्रथम उत्तरदाता और दूसरे उत्तरदाता जैसे परीक्षा केंद्रों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को पीडब्ल्यूडी द्वारा उठाए गए उचित आवास की आवश्यकताओं से निपटने के लिए नियमित रूप से संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

पैराग्राफ 57 में उपरोक्त को आगे बढ़ाने के लिए पहले प्रतिवादी द्वारा उठाए गए कदमों को उसके निर्णय से दो सप्ताह की अवधि के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके रजिस्ट्री को सूचित किया जाना चाहिए।

अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। समाप्त करने वाले आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील का निपटारा किया गया।